झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान– सभा

शीतकालीन– सत्र

वर्ग– 05

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 27 अग्रहायण, 1937 [श0] को 18 दिसम्बर, 2015 [ई0] झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक–	विभागों को भेजी गई सां0 संख्या	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
111	अ0सू0– 09	श्री आलमगीर आलम	भूमि का हस्तांतरण।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	11.12.2015
112	अ0सू0– 13	श्री अमित कुमार	सेवा स्थायी करना।	स्वा0वि0शि0 परि0 कल्याण	11.12.2015
113	अ0सू0– 43	श्री रवीन्द्रनाथ महतो	पॉलिटेकनिक कॉलेज का निर्माण।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण	11.12.2015
114	अ0सू0– 26	श्री सत्येन्द नाथ तिवारी	निविदा में अनियमितता	स्वा0वि0शि0 परि0 कल्याण	14.12.2015
115	अ0सू0– 37	श्री शिवशंकर उराँव	विकलांगता प्रतिशत में सुधार।	स्वा0वि0शि0 परि0 कल्याण	14.12.2015
116	अ0सू0– 36	श्री राधाकृष्ण किशोर	शराब की बिक्री पर प्रतिबंध	उत्पाद एवं मद्य निषेध	14.12.2015
117	अ0सू0– 45	श्री मनीष जायसवाल	अतिक्रमणकारी को दण्डित करना।	राजस्व एवं भूमि सुधार	14.12.2015
118	अ0सू0– 12	श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	मेडिकल कॉलेज की स्थापना।	स्वा0वि0शि0एवं परि0कल्याण	11.12.2015

(कृ0 पृ0 उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
119	अ0सू0	22 श्री जयप्रकाश भाई पटेल	उपक्रमों की व्यवस्था।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0कल्याण	12.12.2015
120	अ0सू0	21 श्री नलिन सोरेन	कॉलेज का निर्माण	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण	12.12.2015
121	अ0सू0	11 श्री रामकुमार पाहन	उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कराना	स्वा0चि0शि0 एवं परि0कल्याण	11.12.2015
122	अ0सू0	05 श्री रामकुमार पाहन	अधिकारी एवं कर्मचारियों कार्रवाई।	राजस्व एवं भूमि सुधार	11.12.2015
123	अ0सू0	47 श्री संजीव सिंह	चिकित्सा कर्मी की पदस्थापना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0कल्याण	14.12.2015
124	अ0सू0	24 श्री शशि भूषण सामाड़	जमीन एवं तालाब मूल रैयतों को वापस दिलाना।	राजस्व एवं भूमि सुधार	12.12.2015
125	अ0सू0	15 प्रो0 स्टीफन मरांडी	अनुबंधित कर्मियों का समायोजन।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0कल्याण	12.12.2015
126	अ0सू0	08 श्री आलमगीर आलम	डेंगू के बढ़ते प्रकोप से बचाव।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0 कल्याण	11.12.2015
127	अ0सू0	25 श्री प्रदीप यादव	वेतन विसंगति समाप्त करना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0 कल्याण	14.12.2015
128	अ0सू0	02 श्री प्रकाश राम	अंचलाधिकारी का पदस्थापन।	राजस्व एवं भूमि सुधार	09.12.2015
129	अ0सू0	07 श्री अनंत कुमार ओझा	चिकित्सा महाविद्यालय कीस्थापना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0 कल्याण	11.12.2015
130	अ0सू0	16 श्री दशरथ गागराई	स्वास्थ्य केन्द्र को नये भवन में स्थानान्तरित करना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0 कल्याण	11.12.2015
131	अ0सू0	33 श्री विदेश सिंह	स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0कल्याण	14.12.2015
132	अ0सू0	10 श्री नारायण दास	अस्पताल का निर्माण ।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0कल्याण	11.12.2015
133	अ0सू0	18 श्री अरूप चटर्जी	निजी जमीन वापस करना।	रा0 एवं भूमि सुधार	11.12.2015
134	अ0सू0	23 श्री जय प्रकाश भाई पटेल	दाखिल खारिज एवं रसीद काटने की व्यवस्था।	रा0 एवं भूमि सुधार	12.12.2015
135	अ0सू0	30 श्री प्रदीप यादव	रैयतो को मुआवजा	रा0 एवं भूमि सुधार	14.12.2015
136	अ0सू0	41 श्री दुलू महतो	रैबीज वैक्सीन उपलब्ध करना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0कल्याण	14.12.2015

(कृ0 पृ0 उ0)

02.	02.	03.	04.	05.	06
137.	अ0सू0— 44	श्री बादल	अंचलाधिकारी का पदस्थापन।	रा0 एवं भूमि सुधार	14.12.2015
138.	अ0सू0— 48	श्री पौलुस सुरीन	अस्पताल भवन पूर्ण कराना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0कल्याण	14.12.2015
139.	अ0सू0— 42	श्री डॉ0 जीतूचरण राम	ग्रेड पे विसंगति में सुधार ।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0कल्याण	14.12.2015
140.	अ0सू0— 06	श्री रवीन्द्रनाथ महतो	डॉ0मंडल के पदस्थापन का औचित्य।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0कल्याण	11.12.2015
141.	अ0सू0— 46	श्री दुलू महतो	आधुनिक चिकित्सा उपक्रम मुहैया कराना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0कल्याण	14.12.2015
142.	अ0सू0— 34	श्री विरंची नारायण	गैर मजरूआ जमीन का दाखिल खारिज कराने के संबंध में।	रा0 एवं भूमि सुधार	14.12.2015
143.	अ0सू0— 50	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	पलायन रोकना।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण	14.12.2015
144.	अ0सू0— 40	श्री नलिन सोरेन	चिकित्साकर्मी एवं दवा उपलब्ध कराना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0कल्याण	14.12.2015
145.	अ0सू0— 49	श्री दीपक बिरूवा	अवैध निर्माण पर रोक।	रा0 एवं भूमि सुधार	14.12.2015
146.	अ0सू0— 52	श्रीमती विमला प्रधान	लीज भूमि पर स्वामित्व दिलाना।	रा0 एवं भूमि सुधार	14.12.2015
147.	अ0सू0— 28	श्री नागेन्द्र महतो	स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0 कल्याण	14.12.2015
148.	अ0सू0— 04	श्री मनोज कु0 यादव	चिकित्सा भवन का निर्माण।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0 कल्याण	14.12.2015
149.	अ0सू0— 14	श्री राज सिन्हा	न्यूरो सर्जरी विभाग आरंभ करना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0 कल्याण	11.12.2015
150.	अ0सू0— 17	श्री अरूप चटर्जी	आश्रितों को मुआवजा	श्रम नियोजन एवं प्र0	12.12.2015
151.	अ0सू0— 31	श्री बिरंची नारायण	खतियान एवं ग्राम मान चित्र बनवाना।	राजस्व एवं भूमि सुधार	14.12.2015
152.	अ0सू0— 19	श्री जगरनाथ महतो	स्वास्थ्य केन्द्र नये भवन में स्थानांतरित करने के संबंध में।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0 कल्याण	11.12.2015
153.	अ0सू0— 35	श्रीमती बिमला प्रधान	ए0एन0एम0 की सीट बढ़ोतरी के संबंध में।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0 कल्याण	14.12.2015
154.	अ0सू0— 27	श्री नागेन्द्र महतो	सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाना।	राजस्व एवं भूमि सुधार	14.12.2015
155.	अ0सू0— 01	श्री राधाकृष्ण किशोर	चिकित्सको एवं पारा मेडिकल स्टाप की नियुक्ति	स्वा0चि0शि0 एवं परि0 कल्याण	09.12.2015

(क्र0 पृ0 उ0)

02.	02.		03.	04.	05.	06
156	अ0सू0	03	श्री अनंत कुमार ओझा	क्षेत्र का सीमांकन सर्वे	राजस्व एवं भूमि सुधार	11.12.2015
157	अ0सू0	29	श्री कुशवाह शिवपुजन मेहता	रेफरल अस्पताल का निर्माण।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0 कल्याण	14.12.2015
158	अ0सू0	32	प्रो0 जय प्रकाश वर्मा	स्वाथ्य केन्द्र की स्थापना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0 कल्याण	14.12.2015
159	अ0सू0	20	श्री निरल पुरती	सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति।	विधि	11.12.2015
160	अ0सू0	51	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	स्वास्थ्य सेवा कार्य प्रारंभ कराना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0 कल्याण	14.12.2015
161	अ0सू0	38	श्री अशोक कुमार	स्वास्थ्यकर्मी की पदस्थापना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0 कल्याण	14.12.2015
162	अ0सू0	39	श्री विकास कु0 मुण्डा	पद सृजित कर फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति	स्वा0चि0शि0 एवं परि0 कल्याण	14.12.2015

रॉची,
दिनांक– 18 दिसम्बर, 2015 ई0।

(विनय कुमार सिंह) 15/12/15
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉची।

ज्ञापांक– प्रश्न–04/2015–3013/वि0स0, रांची, दिनांक– 15/12/15

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रीगण/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 15/12/15
(सुरेश रजक)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

ज्ञापांक– प्रश्न–04/2015–3013/वि0स0, रांची, दिनांक– 15/12/15

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 15/12/15
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

सुभाष

15/12

(11)

श्री आलमगीर आलम, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.12.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–09 के संबंध में प्रश्नोत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री आलमगीर आलम, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के नगड़ी अंचल अन्तर्गत मौजा–साहेर, थाना संख्या–116, प्लॉट नम्बर–230 में रकबा 5 एकड़ भूमि, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू युनिवर्सिटी बनाने के लिए वर्ष 2013 में चिन्हित किया गया, जिसके हस्तान्तरण का प्रस्ताव विभाग में दो वर्ष से लम्बित है ;		अस्वीकारात्मक। राँची जिला के नगड़ी अंचल अन्तर्गत मौजा–साहेर, थाना संख्या–116, प्लॉट नम्बर–230 में रकबा 5 एकड़ भूमि उपलब्ध नहीं है।
2.	यदि उक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नगड़ी अंचल के मौजा–साहेर, थाना संख्या–116, प्लॉट नम्बर–230 में रकबा 05 एकड़ भूमि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू युनिवर्सिटी निर्माण के लिए हस्तान्तरण करने का विचार रखती है;; यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?		वस्तुस्थिति यह है कि संबंधित खाता, प्लॉट में भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण नगड़ी अंचल अन्तर्गत मौजा–साहेर, थाना संख्या–116, खाता संख्या–155 प्लॉट संख्या–1253 में रकबा 5 एकड़ भूमि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू युनिवर्सिटी निर्माण हेतु जिलास्तर से चिन्हित की गई है। जिसके हस्तांतरण की कार्रवाई की जा रही है। जिला से प्रस्ताव प्राप्त होने पर शीघ्र कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक:–4/स0भू0 वि0स0 (अ0सू0)– 114/15 5646/रा0 दिनांक– 17-12-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2842 वि0स0, दिनांक–11.12.2015 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–10 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/15
सरकार के उप सचिव

(112)

श्री अमित कुमार, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 18-12-15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–13

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अमित कुमार मा0 स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	**श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा0 मंत्री, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग**
1. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा IPHS NORMS के अनुकम्पा पदों का सृजन किये बिना ही GNM, लैब टेक्निशियन एवं फार्मासिस्ट पदों का विज्ञापन प्रकाशित किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। IPHS NORMS के तहत राज्य के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए पद सृजन विचार किया जा रहा है। GNM, लैब टेक्निशियन एवं फार्मासिस्ट पदों का विज्ञापन पूर्व से सृजित पदों के अन्तर्गत रिक्ति के विरूद्ध कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।
2. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार NRHM के तहत अनुबंध में नियुक्त कर्मियों की नियमावली बनाकर सेवा स्थायी करने एवं स्थायीकरण होने तक बिहार की तर्ज पर मानदेय बढ़ोतरी करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	NRHM के तहत अनुबंध में नियुक्त कर्मियों की सेवा स्थायी करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक– 21 / वि0स0–06-10 / 15–459(21)   दिनांक:– 17-12-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0– 2839, दिनांक– 11-12-15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12

सरकार के उप सचिव ।

Tiwari

(113)

माननीय स.वि.स. श्री रवीन्द्रनाथ महतो द्वारा दिनांक 18.12.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या – 43 का उत्तर सामग्री।

क्र.सं.	प्रश्नकर्ता मा.स.वि.स. श्री रवीन्द्रनाथ महतो	उत्तरदाता श्री राज पलिवार, माननीय मंत्री, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि नाला विधानसभा क्षेत्र के नाला, कुंडहित एवं फतेहपुर प्रखण्ड में युवक/युवतियों को रोजगार प्राप्त करने का एक भी प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी द्वारा अब तक इन क्षेत्रों (नाला, कुंडहित एवं फतेहपुर प्रखण्ड) में प्रशिक्षण केन्द्र नहीं खोला गया है। परन्तु झारखण्ड राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चयनित विभिन्न प्रशिक्षण सेवा प्रदाता के माध्यम से जामताड़ा जिले में जनवरी' 2016 से कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त प्रखण्डों में प्रशिक्षण केन्द्र नहीं रहने के कारण गरीब युवक/युवतियों को कौशल प्रशिक्षण नहीं होने के कारण रोजगार से वंचित रहना पड़ता है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति उत्तर खण्ड–1 में स्पष्ट कर दी गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नाला विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत गरीब ग्रामीण युवक/युवतियों के प्रशिक्षण हेतु पोलेटेक्निक कॉलेज/कौशल विकास केन्द्र निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?	निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1777 दिनांक 16.12.2015 के अनुसार – "चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 में नाला विधानसभा क्षेत्र में किसी भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या स्कील डेवलपमेंट सेन्टर के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।"

झारखण्ड सरकार
श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक : ज्ञा0कौ0वि0मि0/वि. स.(अ. सू.)–237/2015– 1061 राँची/दिनांक 17/12/2015

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 3005/विस दिनांक 14.12.2015 के अनुपालन में (200 प्रतियों में)/अवर सचिव, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग (सरकार पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/12/2015
(कंचन अंजलि मुण्डू)
सरकार के उप सचिव
श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
झारखण्ड, राँची

(119)

माननीय विधायक श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी द्वारा दिनांक 18.12.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्र0सं0 अ0सू0– 26 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि जून 2015 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए निविदा निस्तार में काफी अनियमितता बरती गई है;		अस्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित वित्तीय अनियमितता द्वारा व्यक्तिगत लाभ पहुँचाया गया, यथा पी0एच0सी0 रेहला जिला पलामू के निविदा निस्तार को पहली बार Single Tenderer; होने के बावजूद सिडयुल दर से उँचे दर पर कार्य आवंटित किया गया संवेदक श्री सतीश दूबे द्वारा सामान्य (Same Value एवं Same Nature) की तीन पी0एच0सी0 क्रमशः गेरुआ कुशहा एवं नौडिहा में Participate करने के बाद सिर्फ गेरुआ (गढ़वा) के लिए (Qualify) किया गया साथ ही कुशहा एवं नौडिहा में इन्हें Disqualify कर अन्य संवेदक को उँचे दर पर कार्य Allot कर विशेष व्यक्ति को लाभ पहूँचाने के नियत से श्री सतीश दूबे को Disqualify किया गया;		पलामू एवं गढ़वा जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण की योजनाओं के निविदा निस्तार के संबंध में समाचार पत्र में प्रकाशित कतिपय आरोपों जिनमें प्रश्न में उल्लिखित आरोप के बिन्दु भी शामिल है, की जाँच मुख्य सचिव, झारखण्ड के आदेशानुसार प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा की गई । उनके पत्रांक– 1056(6) दिनांक 26.11.15 द्वारा मुख्य सचिव को प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में समाचार पत्र में प्रकाशित आरोप के सभी बिन्दु निराधार पाए गए हैं।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जून 2015 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निविदा निस्तार की अनियमितता की जाँच कराने का विचार चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपर्युक्त कंडिका 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0–वि0स0 (अ0सू0)– 111/15– 1163(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 17.12.15
प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2933/वि0स0, दिनांक 14.12.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.12.15
सरकार के उप सचिव ।

115

श्री शिवशंकर उरॉव, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 18-12-15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–37

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री शिवशंकर उरॉव मा0 स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा0 मंत्री, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग
1. क्या यह बात सही है कि देश में एक से छह वर्ष के आयु वर्ग के विकलांग बच्चों की राष्ट्रीय औसत 2.6 प्रतिशत है ?	अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार, उपर्युक्त आयु वर्ग के जनजाति बच्चों की विकलांगता प्रतिशत, राष्ट्रीय विकलांगता प्रतिशत और कुल संख्या दोनों में अधिक है ;	आंकड़ा उपलब्ध नहीं है
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रहीं है तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जन्म से 18 वर्ष के बच्चों में विकलांगता की पहचान कर उपचार किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक– 21 / वि0स0–06-09/15–457(21) दिनांक:– 17·12·15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0– 2930, दिनांक– 14-12-15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12

सरकार के उप सचिव ।

Tiwari

(116)

दिनांक–18.12.2015 को श्री राधा कृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–36 से संबंधित उत्तर :–

प्रश्नकर्त्ता (माननीय स0वि0स0 श्री राधा कृष्ण किशोर)	उत्तर (माननीय प्रभारी मंत्री प्रो0 चन्द्र प्रकाश चौधरी)
1. क्या यह बात सही है कि, नशाखोरी झारखण्ड राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में बाधक है, यदि हाँ तो क्या सरकार झारखण्ड प्रदेश में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना चाहती है ?	राज्य सरकार जनहित में मद्य निषेध नीति को प्रोत्साहित करने हेतु कृत संकल्पित है । इसके निमित्त झारखण्ड उत्पाद लेवल, निबंधन/नवीकरण एवं मद्य दर निर्धारण नियमावली, 2014 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राज्य में आपूरित मदिरा के प्रत्येक बोतल पर बड़े–बड़े साफ लाल अक्षरों में, वैधानिक चेतावनी, (बारह फॉन्ट) मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है अथवा Drinking liquor is injurious to health अंकित करना अनिवार्य है। झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा–54 (बी.) एवं (सी.) के अनुसार किसी भी व्यक्ति, जिसने पूर्व से मदिरापान कर रखा हो तथा 21 वर्ष से कम आयु के हों, वैसे व्यक्तियों को मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित है । वर्तमान में राजस्व संग्रहण एवं मद्य निषेध में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वैसे ग्राम पंचायत जहाँ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो वहाँ मदिरा की दुकानें राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत नहीं की जाती है । इसके अतिरिक्त वैसे स्थान जहाँ पर आदिम जनजाति के सदस्यों की घनी आबादी है वहाँ भी मदिरा के दुकान के लिए स्थल की स्वीकृति देना प्रतिबंधित है । इसके अतिरिक्त 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, दशहरा, होली, ईद, मुहर्रम, रामनवमी, इत्यादि पर्व के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा शुष्क दिवस घोषित किया गया है ।

झारखण्ड सरकार
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

ज्ञापांक–03/विधायी–20–12/2015 2695 रांची, दिनांक– 16/12/15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–प्र0–2919/वि0स0 दिनांक–14.12.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आदेश अनुसार

16/12/15

सरकार के अवर सचिव

16/12

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–18.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–45 का प्रश्नोत्तर :–

(117)

	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड उच्च न्यायालय ने W.P.(P.I.L.) No.-4564/13 में अपने आदेश दिनांक–10.12.14 अन्तर्गत उपायुक्त, गिरिडीह को श्री राम प्रसाद राम, पिता–स्व. धनुषधारी राम द्वारा गैर मजरूवा आम सड़क पर किये गये अतिक्रमण को चार सप्ताह के अन्दर अपील वाद सं.–02/2012 का निष्पादन करते हुए अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया है जो अंचल अमीन अंचलाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता द्वारा जाँचोपरांत संपुष्ट है।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड कैबिनेट ने दिनांक–06.10.2015 को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को जेल व जुर्माना से दंडित करने का प्रस्ताव पारित की है।	संबंधित विधेयक को सदन के पटल पर रखे जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड (i) में वर्णित प्रस्ताव के आलोक में अतिक्रमणकारी श्री राम प्रसाद राम को दण्डित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अतिक्रमण अपील वाद सं.–02/2012 के निष्पादन के उपरान्त अतिक्रमणकारी पर नियमानुकूल समुचित कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–5/स.भू. गिरि. (वि.स.अ.सू.)–183/2015...5648/रा., राँची, दिनांक–17-12-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं.–3001/वि.स., दिनांक–14.12.2015 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, एवं विभागीय प्रशाखा–10(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/15
सरकार के उप सचिव

My comp /E/All folder/vidhan sabha-15QA/Manoj Kumar

(118)

माननीय विधायक श्री निर्मय कुमार शाहाबादी द्वारा दिनांक 18.12.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्र0सं0 अ0सू0– 12 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला राज्य का सबसे बड़ा 12 प्रखण्डों एवं 04 अनुमण्डलों का जिला है जहाँ योजना आयोग, भारत सरकार दिशा–निदेश से 200 बेड का सदर अस्पताल का निर्माण कराया गया है जो मेडिकल कॉलेज की सारी अर्हता पूरा करती है;		आंशिक स्वीकारात्मक । वर्त्तमान में सदर अस्पताल में 108 बेड उपलब्ध है। उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल के अन्तर्गत हजारीबाग में भारत सरकार द्वारा नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है । जिसके लिए Transaction Advisor नियुक्त कर डी0पी0आर0 तैयार करने की कार्रवाई की-जा रही है ।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य गठन के पश्चात उक्त जिला में स्वामी विवेकानन्द मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय सरकार द्वारा ली गई थी जिससे संबंधित संचिका अग्रेतर कार्रवाई की प्रत्याशा में अबतक लम्बित है;		इस प्रकार की कोई संचिका विभाग में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ।
3. क्या यह बात सही है कि सदर अस्पताल, गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज खुलने से राज्य के लोगों के साथ–साथ मुख्यतः 03 प्रमण्डलों के लोगों को विशेष रुप से स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगी;		अस्वीकारात्मक। उपर्युक्त कंडिका– 1 के अनुरुप।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्यहित व जनहित में गिरिडीह जिला में खण्ड–02 में वर्णित मेडिकल कॉलेज की स्थापना का विचार रखती है, हों, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपर्युक्त कंडिका– 1 के अनुरुप । वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा गिरिडीह जिला में मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव नही है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0–वि0स0 (अ0सू0)– 115/15– 1170(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 17.12.15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2838/वि0स0, दिनांक 11.12.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.12.15

सरकार के उप सचिव ।

(119)

माननीय विधायक श्री जय प्रकाश भाई पटेल द्वारा दिनांक 18.12.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्र0सं0 अ0सू0– 22 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत विष्णुगढ़ प्रखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है जिसमें पुरे प्रखण्ड के लोग चिकित्सा सुविधा का लाभ लेते है;		आंशिक स्वीकारात्मक । हजारीबाग जिलान्तर्गत विष्णुगढ़ प्रखण्ड में पूर्व से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है, जिससे पूरे प्रखण्ड के लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । नया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण किया गया है । इसके पूर्णतः संचालन हेतु कार्रवाई की जा रही है । साथ ही विष्णुगढ़ प्रखण्ड में बनखारो में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं कुल उन्नीस स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित है, जहाँ से लोग स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करते हैं ।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बैटरी, इनभर्टर, इन्सट्रुमेन्ट, मैटरेस, बेड, आपरेशन थियेटर, टेबुल लाईट के साथ अन्य समाग्रियों के अभाव में ग्रामीणों को समुचित चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है;		विष्णुगढ़ में नया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चालू करने की कार्रवाई की जा रही है । आवश्यक मशीन उपकरणों एवं सामग्रियों का क्रय प्रक्रियाधीन है। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से आम लोगों को इसी वित्तीय वर्ष में चिकित्सा सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विष्णुगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में वर्णित उपकरणों की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		यथा उपर्युक्त कंडिका– 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0–वि0स0 (अ0सू0)– 117/15– 1168 (c) स्वा0, राँची, दिनांक: 17-12-15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2873/वि0स0, दिनांक 11.12.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/15

सरकार के उप सचिव ।

120

माननीय स.वि.स. श्री नलीन सोरेन द्वारा दिनांक 18.12.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या – अ0 सू0 21 का उत्तर सामग्री

क्र.सं.	प्रश्नकर्ता माननीय स.वि.स. श्री नलीन सोरेन	उत्तरदाता श्री राज पलिवार, माननीय मंत्री, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला अंतर्गत शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है?	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि शिकारीपाड़ा विधानसभा अंतर्गत शिकारीपाड़ा, काठीकुंड एवं रानेश्वर प्रखण्ड में युवक/युवतियों को रोजगार हेतु कौशल प्रशिक्षण के लिए एक भी केन्द्र नहीं है?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी द्वारा अब तक इन क्षेत्रों (शिकारीपाड़ा, काठीकुंड एवं रानेश्वर प्रखण्ड) में प्रशिक्षण केन्द्र नहीं खोला गया है। परन्तु झारखण्ड राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चयनित विभिन्न प्रशिक्षण सेवा प्रदाता के माध्यम से दुमका जिले में जनवरी' 2016 से कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त प्रखण्डों में प्रशिक्षण केन्द्र नहीं रहने के कारण गरीब युवक/युवतियों को कौशल प्रशिक्षण नहीं होने के कारण रोजगार से वंचित रहना पड़ता है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति उत्तर खण्ड–2 में स्पष्ट कर दी गयी है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शिकारीपाड़ा प्रखंड में पोलेटेकनीक कॉलेज का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	उच्च एवं तकनिकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 2909 दिनांक 15.12.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अनुसार– "वर्तमान में झारखण्ड राज्य के प्रत्येक जिला में पोलिटेकनिक संस्थान खोलने का निर्णय है। प्रखण्ड स्तर पर राजकीय पोलिटेकनिक खोलने हेतु सरकार का निर्णय नहीं है"।

झारखण्ड सरकार
श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक : झा0कौ0वि0मि0/वि. स.(अ. सू.)–236/2015– 1060 राँची/दिनांक 17-12-2015

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 2878 विस दिनांक 12.12.2015 के अनुपालन में (200 प्रतियों में)/अवर सचिव, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग (सरकार पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/12/2015

(कंचन अंजलि गुप्ता)
सरकार के उप सचिव
श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
झारखण्ड, राँची

(121)

माननीय विधायक श्री रामकुमार पाहन द्वारा दिनांक 18.12.15 को सदन में पूछा जाने वाला
अल्प–सूचित प्र0सं0 अ0सू0– 11 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत प्रखण्ड मुख्यालय ओरमाँझी में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया गया है;		आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुतः प्रखण्ड मुख्यालय ओरमांझी के पुराने भवन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (सा0स्वा0 केन्द्र) चल रहा था। डुण्डे में नए भवन निर्माण होने पर दिनांक– 26.01.2013 से डुण्डे स्थित नए भवन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) कार्य कर रहा है ।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में घनी आबादी निवास करती है और कोई स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है जिससे आमजनों को परेशानी होती है;		सिविल सर्जन, राँची के पत्रांक– 3261 दिनांक 15.12.15 के अनुसार प्रखण्ड मुख्यालय, ओरमांझी से 1.5 कि0मी0 की दूरी पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिलादिरी अवस्थित है, जहाँ से आमजनों को चिकित्सा सुविधा दी जाती है। दिनांक 10.03.15 से पूर्व के पुराने मुख्यालय भवन ओरमांझी में सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को एक चिकित्सक एवं तीन स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से वहाँ आमजनों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रखण्ड मुख्यालय में स्थित उप–स्वास्थ्य केन्द्र पुनः स्थापित करने पर विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपर्युक्त कंडिका 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0–वि0स0 (अ0सू0)– 114/15– 1171(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 17.12.15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2837/वि0स0, दिनांक 11.12.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.12.15

सरकार के उप सचिव ।

(122)

श्री रामकुमार पाहन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.12.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–05 का प्रश्नोत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री रामकुमार पाहन, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है राँची जिला अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय अनगड़ा के अंचल कार्यालय से वर्ष 2011–12 का आर0सी0–27 महत्वपूर्ण फाइल गायब है ?		स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि फाइल के गायब होने से कोई भी जानकारी फाइल से संबंधित प्राप्त नहीं हो रही है ?		स्वीकारात्मक। पंजी–27 से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। फिलहाल भूमि संबंधी जानकारी पंजी–II एवं शुद्धि पत्र से मिलानकर आवेदकों को उपलब्ध कराया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गायब फाइलों को खोजने एवं गायब करने वाले अधिकारी तथा कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?		वस्तुस्थिति यह है कि गायब करने वाले कर्मचारी के विरूद्ध अनगड़ा थाना में अंचल अधिकारी, अनगड़ा द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गयी है एवं प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक:–9/आरोप वि0स0 (अ0सू0)– 87/2015 5649/रा0 दिनांक–17-12-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2841/वि0स0, दिनांक–11.12.2015 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–10 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/15
सरकार के अपर सचिव

123

श्री संजीव सिंह, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 18.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ0 सू0–47 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप केन्द्र के भवन संसाधन विहिन एवं भवन के रख–रखाव के कारण स्थानीय आमजन को चिकित्सा का लाभ नहीं मिल पा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। झरिया विधान सभा अन्तर्गत 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 15 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। इनमें से 10 का अपना भवन है एवं 8 अन्य सरकारी भवनों में संचालित है तथा लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों में यूनिट के आधार पर चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी का अभाव है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। धनबाद जिला में चिकित्सक के स्वीकृत 125 पदों के विरूद्ध 71 चिकित्सक कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 8 नव नियुक्त चिकित्सकों का पदस्थापन विभागीय अधिसूचना संख्या 1392 (3) दिनांक 10.11.2015 द्वारा की गयी है। चिकित्सा कर्मियों के कुल सृजित 208 पद के विरूद्ध 56 कार्यरत हैं।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त केन्द्रों में महिला प्रसव हेतु आधुनिक संसाधन युक्त कमरा का अभाव है, जिससे प्रसव कार्य में आए दिन समस्या होते रहती है ;	धनबाद जिला अन्तर्गत 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केन्दुआडीह में महिला प्रसव हेतु पर्याप्त संसाधन युक्त कमरा उपलब्ध है जिसमें सुचारू रूप से प्रसव कार्य कराया जाता है।
4.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या महिलाओं के चिकित्सा सुविधा से लाभ दिलाने के साथ–साथ जिला में यूनिट के आधार पर चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मी का पदस्थापन कराने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्थिति उपर के खण्डों में स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03 / वि0 स0–03–85 / 2015 1487 (3) राँची, दिनांक: 17/12/15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2997 / वि0स0 दिनांक 14.12.15 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.12.15
सरकार के अवर सचिव

श्री शशिभूषण सामाड़, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.12.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–24 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री शशिभूषण सामाड़, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत खूंटपानी प्रखण्ड के लोहरदा पंचायत में मौजा कोटसोना, हल्का संख्या–3, राजस्व थाना– कोलहान, थाना नं.–02 अवस्थित है;		स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि मौजा–कोटसोना के अंतर्गत खाता सं.–5, प्लॉट सं.–1339, रकबा–1.12 डि0 जमीन एवं खाता सं.–21, प्लॉट नं0–1324, रकबा–1.38 डि0 में रो बान्दा नामक खूंटकट्टी तालाब अवस्थित है, जिसके मूल रैयत – चन्दन हो, पिता–मोने हो तथा सुरेन्द्र हो, मोहन सिंह हो तथा रामचन्द्र हो, पिता–सरदार नन्दु हो का नाम वर्ष–1963 कि सर्वे सेटेलमेंट में रैयती खतियान दर्ज है;		स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त खूंटकट्टी जमीन एवं तालाब पर वर्ष 1989 से ग्रामीणों के सहयोग से (हातु दिऊरी) पुजारी श्री रूप सिंह होनहागा, पिता–स्व0 राऊतु होनहागा के द्वारा (पुजारी जमीन) जबरन जोत आबाद कर रहे हैं, इसकी वजह से गाँव में अशान्ति का माहौल बनी हुई है।		उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक–132(A)/रा., दिनांक–16.12.2015 के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि अंचल अधिकारी, खूंटपानी के ज्ञापांक–467(बी.), दिनांक– 15.02.2015 के द्वारा समर्पित प्रतिवेदनानुसार विषयांकित मामले में हल्का कर्मचारी/प्रभारी अंचल निरीक्षक के साथ स्थानीय जाँच अंचलाधिकारी द्वारा किया गया है। जाँच के दौरान मौजा कोटसोना के ग्रामीण जनता/क्षेत्रीय मानकी/डाकुवा से पूछ–ताछ किया गया। पूछ–ताछ के क्रम में ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान ग्राम पुजारी श्री रूप सिंह होनहागा, पिता–स्व0 राऊतु होनहागा खतियानी रैयत के वंशज से सम्बंधित हैं। वर्त्तमान में ग्राम पुजारी की हैसियत से उक्त जमीन पर शान्ति पूर्वक जोत आबाद करते आ रहे हैं। वर्त्तमान में विवाद संबंधी मामला प्रकाश में नहीं आया है।
4	यदि उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अवैध रूप से दखल की गई जमीन एवं तालाब को जनहित में पुनः मूल रैयतों को ही वापस दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यो?		उपर्युक्त कण्डिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक:–6/वि0स0 (अ0सू0)प0सिंह0–126/15 5647 रा0 दिनांक– 17-12-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–2876 वि0स0, दिनांक–12.12.2015 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/15

(125)

प्रो० स्टीफन मराण्डी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.12.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०– 15 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्ता:– प्रो० स्टीफन मराण्डी, मा०स०वि०स०, झारखण्ड, राँची।	उत्तरदाता:– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा० चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार में 10 वर्षों से अनुबंधित कर्मी यथा ए०एन०एम०, जी०एन०एम० आदि स्वास्थ्य सेवाएं देते आ रहें है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि अन्य राज्यों की भांति यथा बिहार, राजस्थान, शिमला, नैनिताल और झारखण्ड राज्य में भी इन्हीं पदो के लिए 2005 बैच के अनुबंधित कर्मियों को 2014 में समायोजन किया गया है ?	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्ष, 2014 में ए०एन०एम० का नियमितिकरण हो चुका है तथा 'ए' ग्रेड नर्स, फार्मासिस्ट एवं प्रयोगशाला प्राविधिक का नियमितिकरण प्रक्रियाधीन है।
3. क्या यह बात सही है कि माननीय मंत्री ने भी **DPHS norms** के तहत् पदों का सृजन एवं अनुबंधित कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन का आश्वासन दिया है,	अस्वीकारात्मक।
4. क्या यह बात सही है कि हाल में नियुक्ति से संबंधित निकाले गये विज्ञापन से पदो का सृजन एवं समायोजन पर प्रश्न चिन्ह लगता है ?	अस्वीकारात्मक।
5. यदि उपरोक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्षो से कार्यरत अनुबंधित कर्मियों के कल्याणार्थ पदों का सृजन एवं उन्हें समायोजन करने का इरादा रखती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक–15 / वि०स० –08–91 / 2015 - 462(15) स्वा० / राँची / दिनांक– 17-12-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं० 2874 दिनांक 12.12.15 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

17/12

सरकार के उप सचिव।

126

श्री आलमगीर आलम, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.12.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०– 08 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता:– श्री आलमगीर आलम, मा०स०वि०स०, झारखण्ड, राँची।	उत्तरदाता:– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा० वि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिलान्तर्गत संग्रामपुर पंचायत के संग्रामपुर ग्राम सहित 6 ग्राम में डेंगू रोग से ग्रसित 40 मरीज माह नवम्बर, 2015 तक पाये गये है ;	दिनांक 15.122015 तक सदर अस्पताल, पाकुड़ में संग्रामपुर पंचायत के संग्रामपुर ग्राम से 79 डेंगु के संभावित मरीज भर्त्ती हुए है।
2. क्या यह बात सही है कि पाकुड़ में डेंगू रोग के ईलाज की व्यवस्था नहीं रहने के कारण डेंगू के मरीजों को भागलपुर, बिहार भेजा जा रहा है, जिससे मरीज एवं उनके परिजनों को कठिनाई हो रही है ;	सदर अस्पताल, पाकुड़ में 20 बेड का डेंगू वार्ड संचालित है जहाँ मरीजों की समुचित उपचार किया जा रहा है। मरीजों की जाँच एवं रेफर निःशुल्क सदर अस्पताल, पाकुड़ द्वारा किया जा रहा है। सदर अस्पताल पाकुड़ में Platelets चढ़ाने की सुविधा नहीं है जिसके कारण मरीजों को भागलपुर एवं राँची रेफर किया गया।
	दिनांक 10.12.2015 तक 19 मरीज भागलपुर चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर तथा 13 मरीज दिनांक 11.12.2015 से अबतक रिम्स, राँची में डेंगू ईलाज (Platelets चढ़ाने) के लिए रेफर किया गया।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार डेंगू रोग से ग्रसित मरीजों के ईलाज की व्यवस्था पाकुड़ में करने एवं डेंगू के बढ़ते प्रकोप से बचाव के उपाय करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक ?	पाकुड़ जिले में डेंगू ग्रसित मरीजों को Platelets चढ़ाने की सुविधा के अलावे ईलाज की सारी व्यवस्था सदर अस्पताल, पाकुड़ में है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:–15/ वि०स० –08–92/2015 452(15) स्वा०/राँची/दिनांक:– 17-12-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं० 2835 दिनांक 11.12.15 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित

17.12.15

सरकार के अवर सचिव।

127

श्री प्रदीप यादव, मा0 स0 वि0 स0, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 18.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–25 के संबंध में।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि आयुष एवं एलोपैथ चिकित्सक दोनों एक ही श्रेणी के पद धारक है ;	स्वीकारात्मक। स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या ज्ञापांक–763 दे0चि0 दिनांक–05.12.1979 द्वारा वैद्य एवं हकीम (डिग्रीधारी) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–148(8) दिनांक–14.07.2004 द्वारा होमियोपैथिक के पद को राजपत्रित पदाधिकारी घोषित किया गया है। छठे वेतन आयोग के आलोक में आयुष चिकित्सकों का ग्रेड पे 4200 रूपया कर दिया गया है जबकि एलोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी का ग्रेड पे 5400 रूपया है।
2.	क्या यह बात सही है कि एक ही पद धारक होने के बाद भी राज्य सरकार उनके वेतनमान में अंतर कर रखा है, वहीं दूसरे राज्यों में दोनों का वेतन समान है ;	स्वीकारात्मक। तृतीय वेतन आयोग से पंचम वेतन आयोग तक आयुष चिकित्सकों का वेतनमान एलोपैथ चिकित्सकों के समान था परन्तु छठे वेतन आयोग के बाद इनका वेतनमान कम हो गया है। वेतनमान का निर्धारण वित्त विभाग के द्वारा किया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि मूल वेतन में विसंगति होने के कारण अब तक आयुष चिकित्सकों की बहाली नहीं हो पायी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार समुचित संशोधन कर उपरोक्त विसंगति दूर कर वेतनमान समरूप करना चहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है। वेतन विसंगति दूर करने का कार्य वित्त विभाग द्वारा किया जाता है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0–20/~~आयुष~~ विधानसभा–09/2015 302(20) राँची, दिनांक: 17/12/15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 2931 दिनांक 14.12.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

128

श्री प्रकाश राम, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–18.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ.सू.–02 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न	उत्तर
	श्री प्रकाश राम, माननीय स.वि.स.	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत बारियातु एवं हेरहंज प्रखण्ड बने सात वर्ष बीत जाने के बाद भी अंचल पदाधिकारी के पद का सृजन होने के बाद भी अंचल पदाधिकारी का पद रिक्त है,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के राज्यादेश सं.–1235/रा., दिनांक–26.03.2015 द्वारा लातेहार जिला अन्तर्गत बारियातु एवं हेरहंज अंचल एवं इनके लिए आवश्यक पदों का सृजन किया गया है। सम्प्रति विभागीय अधिसूचना संख्या–4086, दिनांक–25.08.15 द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के स्थायी आदेश संख्या–6984 दिनांक–04.08.15 के आलोक में झारखण्ड राज्य अंतर्गत वैसे प्रखंड जहाँ अंचल अधिकारी का पद रिक्त है एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पदस्थापित है वैसे स्थान में अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उनके कार्यों के अतिरिक्त अंचल अधिकारी की शक्ति प्रदान कर दी गयी है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त प्रखण्डों के अंचल संबंधी कार्य कराने हेतु स्थानीय ग्रामीणों को यथा हेरहंज से 20 कि.मी. दूर तथा बारियातु से 8 कि.मी. दूर जाना पड़ता है,	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त प्रखण्डों में अंचल अधिकारी का पदस्थापन करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को अंचल अधिकारी के रूप में पदस्थापित करने हेतु विभागीय पत्रांक–521, दिनांक–19.02.15 के द्वारा 74 पदाधिकारियों, पत्रांक–3960, दिनांक–19.08.15 के द्वारा 97 मूल कोटि के पदाधिकारियों एवं सम्प्रति पुनः विभागीय पत्रांक–5438, दिनांक–7.12.15 के द्वारा कुल 103 पदाधिकारियों की माँग की गयी है। विभाग को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से पदाधिकारियों की सेवा प्राप्त होते ही यथाशीघ्र रिक्त अंचलों में पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–2/,राज.स्था.(अल्पसूचित)–73/2015 5612/रा. राँची, दिनांक– 16-12-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–2752/वि.स., दिनांक–09.12.2015 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/15
सरकार के संयुक्त सचिव

(129)

माननीय विधायक श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा दिनांक 18.12.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्र0सं0 अ0सू0– 07 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि उत्तरी संथाल परगना क्षेत्र साहेबगंज जिला, प0 बंगाल एवं बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में अवस्थित है;		स्वीकारात्मक है ।
2. क्या यह बात सही है, कि साहेबगंज जिला में आजतक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना नहीं हो सकी है, जिसकी मॉग वर्षो से होते आ रही है;		आंशिक स्वीकारात्मक है । साहेबगंज जिला में सम्प्रति चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है । वस्तुतः संथाल परगना प्रमण्डल जिसके अधीन साहेबगंज जिला है, के प्रमण्डलीय मुख्यालय दुमका में भारत सरकार द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए भूमि का चयन कर लिया गया है । चयनित परामर्शी द्वारा डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है। डी0पी0आर0 प्राप्त होने के उपरान्त इसकी औपचारिक स्वीकृति देते हुए निर्माण की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार साहेबगंज जिला मुख्यालय में चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु "चिकित्सा महाविद्यालय" स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		यथा उपर्युक्त कंडिका '2' में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6 / पी0–वि0स0 (अ0सू0)– 113 / 15– 1164(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 17-12-15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2834 / वि0स0, दिनांक 11.12.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.12.15

सरकार के उप सचिव ।

(130)

श्री दशरथ गागराई, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.12.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0– 16 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता:– श्री दशरथ गागराई, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	उत्तरदाता:– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के खूंटपानी प्रखण्ड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नया भवन 4 वर्ष पूर्व ही बन कर तैयार है ?	अस्वीकारात्मक। प0 सिंहभूम जिले के खूँटपानी प्रखण्ड अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नया भवन 08 माह पूर्व ही पूर्ण हुआ है।
2. क्या यह बात सही है कि नये भवन के निर्माण होने के उपरांत भी उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पुराने भवन में ही संचालित है ?	स्वीकारात्मक। नये भवन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को संचालित करने हेतु आवश्यक उपस्करों एवं मशीन–उपकरणों के क्रय की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3. क्या यह बात सही है कि नये भवन में उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के स्थानांतरण से मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जा सकता है ?	वर्तमान में पुराने स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खूंटपानी को नये भवन में स्थानांतरण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	इस वित्तीय वर्ष के अंत तक आवश्यक व्यवस्था कर नये सामुदायिक भवन के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:–15/ वि0स0 –08–93/2015 - 464(15) स्वा0/राँची/दिनांक:– 17-12-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 2875 दिनांक 11.12.15 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

17.12.15
सरकार के अवर सचिव।

(131)

माननीय विधायक श्री विदेश सिंह द्वारा दिनांक 18.12.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्र0स0 अ0सू0– 33 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत तरहसी एवं मनातू प्रखण्ड में स्वास्थ्य केन्द्र भवन अत्यन्त जर्जर अवस्था में है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि भवन जर्जर रहने के कारण चिकित्सा हेतु ससमय ग्रामीण मरीजों के उपधार में कठिनाईयॉं उत्पन्न होती है एवं मरीजों के उपचार में कठिनाईयां उत्पन्न होती है एवं मरीजों को भी डर की आशंका बनी रहती है;	वर्तमान में मनातु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन उसी प्रखण्ड के अन्तर्गत पदमा स्थित नव–निर्मित भवन में किया जा रहा है । जहॉं तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तरहसी का प्रश्न है, इसके आई0पी0डी0 एवं प्रसुति कक्ष को छोड़कर ओ0पी0डी0 कक्ष अच्छी अवस्था में है । केन्द्र का एक भाग जिसकी स्थिति अच्छी है, में लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । उक्त केन्द्र के परिसर में चिकित्सकों के लिए आवासीय भवन भी उपलब्ध है । इस बीच पुराने भवनों की विशेष मरम्मति/जीर्णोद्धार के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 182(6)ब दिनांक 22.09.15 द्वारा योजना की स्वीकृति दी गई है । इसके आलोक में सभी सिविल सर्जन/विभागीय अभियन्त्रण कोषांग से सभी ऐसे भवनों के डी0पी0आर0 की मॉंग की गई है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त जीर्णोद्धार/नए निर्माण के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
3. क्या यह बात सही है कि चिकित्सक कर्मचारियों के आवासीय परिसर नहीं होने के कारण काफी कठिनाईयॉं उत्पन्न हो रही है;	वर्त्तमान संरचनाओं के संबंध में उपर्युक्त कंडिका के अनुरुप अभियन्त्रण कोषांग से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त कर्मचारियों के आवास के संबंध में निर्णय लिया जाएगा ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हॉं, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका 2 एवं 3 में स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0–वि0स0 (अ0सू0)– 109/15– 1165(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 17.12.15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2927/वि0स0, दिनांक 14.12.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.12.15

सरकार के उप सचिव ।

(132)

श्री नारायण दास, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.12.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0– 10 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्ता:– श्री नारायण दास, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	उत्तरदाता:– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 वि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि देवघर प्रखण्ड मुख्यालय में प्रखण्ड स्तरीय अस्पताल की निर्माण की माँग देवघर नगर निगम के गठन के बाद से की जा रही है ;	अस्वीकारात्मक। देवघर प्रखण्ड मुख्यालय अर्थात शहरी क्षेत्र में प्रखण्ड स्तरीय अस्पताल के निर्माण से संबंधित कोई माँग पत्र किसी भी स्तर से प्राप्त नहीं हुआ है।
2. क्या यह बात सही है कि देवघर जिलान्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला प्रसव संसाधन एवं महिला श्रेणी की चिकित्सा कर्मी की घोर आभाव के कारण आए दिन प्रसव कार्य में कठिनाईयाँ हो रही है ;	अस्वीकारात्मक। देवघर जिला अन्तर्गत सदर अस्पताल, अनुमण्डलीय अस्पताल तथा समस्त सामुदायिक स्वा0 केन्द्रों में सामान्य तथा जटिल प्रसव की सुविधा उपलब्ध है। देवघर जिला अन्तर्गत कई स्वा0 उप केन्द्र में सामान्य प्रसव की सुविधा उपलब्ध है। इस जिला के शेष स्वा0 उपा केन्द्र में प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई चल रही है। इस जिला में महिला कर्मी की उपलब्ध संख्या के अनुसार स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा प्रसव कार्य में कोई कठिनाई नहीं है।
3. यदि उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार देवघर प्रखण्ड मुख्यालय में प्रखण्ड स्तरीय अस्पताल का निर्माण कराने तथा यूनिट के आधार पर चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी का पदस्थापन कराने का विचार रखती है ; हां तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक–15/ वि0स0 –08–94/2015 461(15) स्वा0/राँची/दिनांक– 17-12-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 2836 दिनांक 11.12.15 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेन्द्र प्रसाद सिंह 17.12.15
सरकारि के अवर सचिव।

133

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.12.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–18 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के निरसा अंचल अन्तर्गत मौजा नम्बर–140, खाता नम्बर –20, खेसरा 18 एवं 19, कुल रकबा–0.80 डी0 जमाबंदी नम्बर–210 के रैयती जमीन को भू माफियाओं द्वारा गैर कानूनी रूप से दिनांक–04.07.05 को फर्जी कागजात बनाकर बेच दिया गया है ?	**अस्वीकारात्मक है।** उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक–3735/रा0, दिनांक–17.12.2015 के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि धनबाद जिला के निरसा अंचल अन्तर्गत मौजा– गोपालगंज, मौजा नं0–140, खाता नं0–20, प्लॉट नं0–19, रकबा– 0.80 डी0 गत सर्वे खतियान के अनुसार वस्तुतः प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की है। उक्त भूमि केवाला दस्तावेज सं0–6298, दिनांक–04.07.05 को निबंधन कार्यालय, धनबाद में निबंधित हुआ है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन के रैयतदार आनन्दी भण्डारी द्वारा अपने निजी जमीन को वापस पाने के लिए विगत 10 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विभागीय मंत्री, उपायुक्त, धनबाद, पुलिस अधीक्षक, धनबाद, भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद तथा अंचलाधिकारी, निरसा को भी आवेदन दिया गया है, जिसपर अबतक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।	प्रश्नगत भूमि के रैयतदार आनन्द भंडारी के नाम से जमाबंदी सं0–128 में दर्ज है। लगान रसीद अद्यतन है। उक्त भूमि से संबंधित मामला प्रथम सिविल न्यायालय, धनबाद में टाईटल शूट नं0–118/2006 के अन्तर्गत विचाराधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त रैयतदारों को अपने निजी जमीन वापस करते हुए सरकार समुचित कार्रवाई करेगी, तो कब नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक:–6/वि0स0 (अल्पसूचित) धनबाद–125/15565/रा0 दिनांक– 17-12-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2843/वि0स0, दिनांक–11.12.2015 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–10 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/15
(अरूण वाल्टर संगा)
सरकार के उप सचिव

134

श्री जयप्रकाश भाई पटेल, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–18.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–23 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न		उत्तर
	श्री जयप्रकाश भाई पटेल, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल में गैर मजरूआ जमीन का दाखिल–खारिज एवं लगान रसीद पूर्व में काटा जाता रहा है।		आंशिक स्वीकारात्मक। कुछ मामलों में बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के कनीय पदाधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा गैरमजरूआ जमीन का दाखिल खारिज एवं लगान रसीद पूर्व में काटा गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011 के बाद प्रमण्डलीय आयुक्त के निदेशानुसार गैरमजरूआ जमीन का लगान रसीद काटना बन्द कर दिया गया है, जबकि दूसरे प्रमण्डलों में दाखिल–खारिज करने के साथ–साथ रसीद भी काटा जा रहा है।		आंशिक स्वीकारात्मक। उपरोक्त परिस्थिति के आलोक में ही तत्कालीन आयुक्त द्वारा कार्यालय पत्रांक–368/आ.गो., दिनांक– 02.04.2012 द्वारा सरकारी/वन भूमि/जंगल झाड़ी भूमि/आदिवासी खाते के भूमि इत्यादि के अवैध निबंधन/नामान्तरण पर कारगर तरीके से रोक लगाने हेतु निदेशित किया गया है न कि वैध जमीन पर हस्तानान्तरण एवं निबंधन।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्व की भाँति दूसरे प्रमण्डलों के तरह उत्तरी छोटनागपुर प्रमण्डल में भी दाखिल–खारिज करने के साथ–साथ रशीद काटने की विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब नहीं तो क्यों?		आंशिक स्वीकारात्मक। उल्लेखनीय है कि अवैध दाखिल खारिज एवं रसीद पर ही पर रोक लगायी गई है, न कि वैध जमीन के जमाबंदी एवं रसीद काटने पर।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–5/स.भू. हजा.(वि.स.अ.सू.)–178/2015-5660/रा., राँची, दिनांक– 17-12-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–2877/वि.स., दिनांक–12.12.2015 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/15

सरकार के अपर सचिव

135

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 18.12.15 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–30 का उत्तर :–

प्रश्नकर्त्ता– श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, राजस्व, निबन्धन एवं भूमि सुधार विभाग
1– क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक–17.07.2015 को प्रधान सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था;	स्वीकारात्मक ।
2– क्या यह बात सही है कि इस समिति की अनुशंसा के आलोक में सरकार ने भूमि अधिग्रहण पर दी जाने वाली मुआवजा, रैयतों को जो देना तय किया है वो भूमि अधिग्रहण कानून–2013 के विपरित है ;	अस्वीकारात्मक । भूमि अर्जन, पूनर्वासन एवं पूनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–26 निम्नवत है :– कलक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण :– (1) कलक्टर, भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण या अवधारण करने में निम्नलिखित मानदण्ड अपनाएगा, अर्थात:– (क) उस क्षेत्र में, जहाँ भूमि स्थित है, यथास्थिति, विक्रय विलेख या विक्रय के करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य, यदि कोई हो; या (ख) निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत; या (ग) प्राईवेट कम्पनियों के लिए या

	पब्लिक–प्राईवेट भागीदारी परियोजनाओं के लिए भूमि के अर्जन के मामले में धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन करार पाए गए प्रतिकर की सम्मत रकम, जो भी अधिक हो ; भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के प्रावधान के अनुसार भूमि का मूल्य निर्धारण किया जाता है तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के विपरीत नहीं है ।
3– क्या यह बात सही है कि सरकार का यह निर्णय उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाने वाला है और भू–स्वामियाओं का नुकसान देने वाला है ;	अस्वीकारात्मक । कण्डिका–2 में स्थिति स्पष्ट की गयी है ।
4– यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इसे अविलम्ब प्रभावी ढंग से लागू करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं हो क्यो ?	अस्वीकारात्मक ।

झारखंड सरकार

राजस्व, निबन्धन एवं भूमि सुधार विभाग

पत्रांक–1/नि0(वि0स0प्रश्न)–10/2015.–1518/ रॉंची, दिनांक– 16-12-15

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, के ज्ञाप रां0–2922 दिनांक–14.12.15 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/– 16/12/15

सरकार के अवर सचिव ।

136

श्री दुलू महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.12.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0– 41 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ताः– श्री दुलू महतो, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	उत्तरदाताः– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 वि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि बाघमारा विधान–सभा क्षेत्र में इन दिनों सर्पदंश एवं कुत्ता काटने की घटना में बेतहासा वृद्धि हुई है ;	सर्पदंश का कोई भी मरीज नहीं आया है, एवं कुत्ता काटने की घटना में पूर्व की तरह ही जितने आते थे बस उतने ही आ रहे हैं।
2. क्या यह बात सही है कि विगत कई माह से बाघमारा अथवा आस–पास के स्वास्थ्य केन्द्रों में एंटी रेबिज वैक्सिन की आपूर्ति बंद है जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है ;	विगत एक सप्ताह से सा0 स्वा0 केन्द्र बाघमारा में ऐंटी रेबिज वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। पी0एम0सी0एच0 में उपलब्ध है। क्रय आदेश दिया जा चूका है एक सप्ताह में आपूर्ति की सम्भावना है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बाघमारा एवं आस–पास के स्वास्थ्य केन्द्रों में एंटी स्केन तथा एंटी रेबिज वैक्सिन के आपूर्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–15 / वि0स0 –08–96 / 2015 456(15) स्वा0 / राँची / दिनांकः– 17-12-15

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 2994 दिनांक 14.12.15 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

17.12.15
सरकार के अवर सचिव।

(137)

श्री बादल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.12.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–44 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री बादल, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि देवघर जिलान्तर्गत सारवां एवं सोनारायथारी, अंचल में पूर्णकालिक अंचलाधिकारी का पदस्थापन नहीं किये जाने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे है;		आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि सम्प्रति विभागीय अधिसूचना संख्या–4086, दिनांक–25.08.15 द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के स्थायी आदेश संख्या–6984 दिनांक–04.08.15 के आलोक में झारखण्ड राज्य अंतर्गत वैसे प्रखंड जहाँ अंचल अधिकारी का पद रिक्त है एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पदस्थापित है वैसे स्थान में अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उनके कार्यों के अतिरिक्त अंचल अधिकारी की शक्ति प्रदान कर दी गयी है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार देवघर जिलान्तर्गत सारवां एवं सोनारायथारी, अंचल में पूर्णकालिक अंचलाधिकारी का पदस्थापन करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?		इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को अंचल अधिकारी के रूप में पदस्थापित करने हेतु विभागीय पत्रांक–521, दिनांक–19.02.15 के द्वारा 74 पदाधिकारियों, पत्रांक–3960, दिनांक–19.08.15 के द्वारा 97 मूल कोटि के पदाधिकारियों एवं सम्प्रति पुनः विभागीय पत्रांक–5438/रा0, दिनांक–07.12.15 के द्वारा कुल 103 पदाधिकारियों की माँग की गयी है। विभाग को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से पदाधिकारियों की सेवा प्राप्त होते ही यथाशीघ्र रिक्त अंचलों में पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–2/राज0 स्था0 वि0स0 (अ0सू0)– 74/15 5611/रा0 दिनांक– 16-12-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3000 वि0स0, दिनांक–14.12.2015 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय प्रशाखा–10 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

138

माननीय विधायक श्री पौलूस सुरीन द्वारा दिनांक 18.12.15 को सदन में पूछा जाने वाला
अल्प–सूचित प्र0सं0 अ0सू0– 48 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला–अन्तर्गत बानो प्रखण्ड के हुरदा अस्पताल 10 वर्षों से निर्माणाधीन है;		अस्वीकारात्मक । वस्तुतः विभागीय राज्यादेश सं0– 49(3)ब दि0 26.06.07 द्वारा कुल 1,02,08,000/– रुपए की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी ।
2. क्या यह बात सही है कि बानो प्रखण्ड से हुरदा अस्पताल की दूरी 45 कि0मी0 है;		स्वीकारात्मक ।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त अस्पताल बन जाने से वहाँ के ग्रामीणों को अच्छी चिकित्सा सुविधा का लाभ ले सकेंगे;		स्वीकारात्मक ।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हुरदा अस्पताल को ससमय पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		वस्तुतः योजना कार्य विभागीय स्तर से कार्यान्वित की जा रही थी । इस योजना के कार्य एजेन्सी कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, सिमडेगा के पत्रांक– 1233 दिनांक– 16.12.15 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विभागीय कार्य बन्द होने के कारण कार्य अबतक लम्बित है । उक्त कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन वर्त्तमान अनुसूचित दर पर तैयार कर मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची को उपलब्ध कराया गया है । तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत कर कार्य पूर्ण कराया जाएगा ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0–वि0स0 (अ0सू0)– 118/15– 1172(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 17.12.15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2998/वि0स0, दिनांक 14.12.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.12.15

सरकार के उप सचिव ।

(139)

डा0 जीतू चरण राम, मा0 स0 वि0 स0, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 18.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 अ0 सू0– 42 के संबंध में।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि आयुष डॉक्टर राजपत्रित पदाधिकारी रहते हुए इन्हें अराजपत्रित पदाधिकारी का ग्रेड पे–4200/– (चार हजार दो सौ रूपया) दिया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि आयुष डॉक्टरों का ग्रेड पे– 4200/– रू0 (चार हजार दो सौ रूपया) की जगह 5400/– रू0 (पाँच हजार चार सौ रूपया) का प्रस्ताव सरकार द्वारा रखा गया है जो एलोपैथिक चिकित्सकों के बराबर है ;	तृतीय वेतन आयोग से पंचम वेतन आयोग तक आयुष चिकित्सकों का वेतनमान एलोपैथ चिकित्सकों के समान था परन्तु छठे वेतन आयोग के बाद इनका वेतनमान कम हो गया है। वेतनमान का निर्धारण वित्त विभाग के द्वारा किया जाता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आयुष डॉक्टरों के ग्रेड पे बिसंगतियों को सुधार करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है। वेतन विसंगति दूर करने का कार्य वित्त विभाग द्वारा किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 20/आयुष विधानसभा–10/2015 301(20) राँची, दिनांक: 17/12/15
प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 2995 वि0 स0 दिनांक 14.12.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12
सरकार के उप सचिव

(140)

श्री रबीन्द्रनाथ महतो, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 18.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ0 सू0–06 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अन्तर्गत सदर अस्पताल, जामताड़ा में डॉ0 अम्बिका प्रसाद मंडल, सिविल सर्जन के पद पर दिनांक 06.07.15 को नियुक्त किया गया था ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकारी कर्मियों के सेवाकाल में पदस्थापन/स्थानान्तरण हेतु नियम बनाया गया है कि पदस्थापन के 3 वर्ष बाद ही स्थानान्तरण किया जाना है ;	तीन वर्षों के उपरान्त स्थानान्तरण हेतु कोई नियम नहीं है, परन्तु प्रशासनिक कारणों से सरकार इस अवधि के पश्चात या बीच में भी स्थानान्तरण/पदस्थापन करने में सक्षम है।
3.	क्या यह बात सही है, कि डॉ0 मंडल को दिनांक 24.11.2015 को जामताड़ा सदर अस्पताल से स्थानान्तरित कर दिया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। डॉ0 अम्बिका प्रसाद मंडल का स्थानान्तरण सदर अस्पताल, जामताड़ा से नहीं बल्कि सिविल सर्जन, जामताड़ा के पद से किया गया है।
4.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो डॉ0 मंडल को पदस्थापन/स्थानान्तरण करने का क्या औचित्य है ?	जामताड़ा जिला में पंचायत निर्वाचन संभावित व्यवधान को दृष्टि में रखकर उपायुक्त, जामताड़ा द्वारा डॉ0 अम्बिका प्रसाद मंडल, सिविल सर्जन, जामताड़ा को स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया गया था। इसके आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति से प्रशासनिक कारणों से डॉ0 मंडल का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से किया गया है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03/वि0 स0–03–84/2015 1484 (3) राँची, दिनांक 17/12/15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2833/वि0स0 दिनांक 11.12.15 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.12.15
सरकार के अवर सचिव

(171)

श्री दुलू महतो, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 18.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ0 सू0–46 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाघमारा में विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा चिकित्सा उपकरणों की भारी कमी है ;	अस्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाघमारा में चिकित्सा पदाधिकारी के 4 पद, विशेषज्ञ के 2 पद एवं दन्त चिकित्सक का 1 पद स्वीकृत है। इन पदों के विरुद्ध 6 चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित है। इसके अतिरिक्त एन0एच0एम0 की ओर से दो विशेषज्ञ चिकित्सक पदस्थापित है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजी गयी है। आयोग से प्राप्त होने वाले अनुशंसा एवं उपलब्धता के आलोक में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति पर विचार किया जायेगा। केन्द्र में आवश्यक चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध है। आवश्यकता होने पर सिविल सर्जन से अधियाचना प्राप्त कर उपकरण उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
2.	क्या यह बात सही है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा चिकित्सा उपकरणों के अभाव में क्षेत्र की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है और लोगों को इलाज के लिए जिला मुख्यालय अथवा निजी चिकित्सकों का चक्कर लगाना पड़ता है ;	अस्वीकारात्मक। उपलब्ध चिकित्सकों से आम मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही पी0एम0सी0एच0, धनबाद में विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाघमारा में आधुनिक चिकित्सा उपकरण मुहैया कराने तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों का पदस्थापना का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर के खण्डों में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03 / वि0 स0–03–86 / 2015 1485 (3) राँची, दिनांक: 17/12/15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2996 / वि0स0 दिनांक 14.12.15 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17-12-15
सरकार के अवर सचिव

(142)

श्री बिरंची नारायण, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–18.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–34 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न	उत्तर
	श्री बिरंची नारायण, माननीय स.वि.स.	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड की वैसी गैर मजरूआ (जी.एम.) जमीन जो अंग्रेजों के शासनकाल में जमींदारों व राजाओं द्वारा निबंधित डीड के माध्यम से निजी रैयतों को बंदोबस्त की गई थी, को आज निबंधन कार्यालय द्वारा बिक्री हेतु निबंधन नहीं किया जा रहा है?	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य की वैसी गैरमजरूआ जमीन (जी.एम.) जो भूतपूर्व जमींदारों एवं राजाओं द्वारा विधिवत् निबंधित डीड के माध्यम से निजी रैयतों को बंदोबस्त की गई थी तथा जिसका जमाबंदी कायम है तथा भूमि पर दखल–कब्जा बरकरार है। वैसी जमीन का निबंधन कार्यालय द्वारा विक्रय हेतु निबंधन किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 के आलोक में ऐसी जमीनों का दाखिल खारिज भी अंचल कार्यालय द्वारा नहीं किया जा रहा है?	अस्वीकारात्मक। विधिवत् बंदोबस्त भूमि का क्रय–विक्रय के बाद दाखिल–खारिज अंचल कार्यालयों द्वारा किया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 के आलोक में ऐसी जमीनों जिनका मालगुजारी रसीद अंग्रेजी शासनकाल से लेकर अब तक कट रहा है, को सरकार रैयती जमीन मानती है?	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जमीनों का निबंधन और दाखिल खारिज नियमानुसार फिर से शुरू करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। उपर्युक्त खण्डों के उत्तर से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–5/स.भू.(वि.स.अ.सू.)–181/2015..5647/रा., राँची, दिनांक–17-12-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–2320/वि.स., दिनांक–14.12.2015 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/15
सरकार के उप सचिव

My comp./E/All folder/vidhan sabha-15QA/Manoj Kumar

143

श्रीमती मंगोत्री कुजूर, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–50 का उत्तर :–

प्रश्नकर्ता		उत्तरदाता
श्रीमती मंगोत्री कुजूर माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–50		श्री राज पलिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
क्या मंत्री, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
1	क्या यह बात सही है कि मांडर प्रखण्ड के आदिवासी बहुल गाँव से लोगों का अधिकाधिक पलायन मजदूर के रूप में राज्य से बाहर हो रही है, यदि हाँ तो सरकार पलायन रोकने हेतु नियोजन एवं प्रशिक्षण का कार्य कराना चाहती यदि है हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

सरकार के द्वारा अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास की नयी योजना की स्वीकृति विभागीय पत्रांक–783 दिनांक 30.04.2015 के द्वारा दी गयी है, जिसके अन्तर्गत रोजगार की तलाश में राज्य के बाहर जाने वाले मजदूरों को 'लाल रंग' (जो स्वयं बाहर जाते हैं) तथा 'हरे रंग' (जो ठेकेदार/एजेन्ट के माध्यम से बाहर जाते हैं) का परिचय पत्र निर्गत किया जाता है। श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1793, 1794 दिनांक 19.07.2011 द्वारा सभी सचिव, ग्राम पंचायत, झारखण्ड को अनुज्ञप्ति पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना संख्या–1797,1798 दिनांक 19.07.2011 द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, झारखण्ड को निबंधन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

पंजीकृत प्रवासी कामगारों को प्रवास की स्थिति में प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में मृत्यु होने तथा स्थायी या पूर्ण रूप से अशक्त होने की स्थिति में निम्नलिखित लाभ देय होते हैं :–

क्र0 सं0		पंजीकृत कर्मकार लाभुकों को देय लाभ	अपंजीकृत कर्मकार लाभुकों को देय लाभ	स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी
i)	प्रवासी मजदूर की मृत्यु या स्थायी या पूर्ण अशक्तता होने पर	रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचीस हजार) मात्र का भुगतान आश्रितों/लाभुकों को किया जायगा।	रू0 1,00,000/– (रूपये एक लाख) मात्र का भुगतान आश्रितों/लाभुकों को किया जायगा।	उपायुक्त
ii)	दुर्घटनाओं में दो आँखों या दो अंगों की हानि	रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पच्चीस हजार) मात्र का भुगतान	रू0 1,00,000/– (रूपये एक लाख) मात्र का भुगतान	तदैव
iii)	दुर्घटनाओं में एक आँख या एक अंग की हानि	रू0 75,000/– (रूपये पचहत्तर हजार) मात्र का भुगतान	रू0 50,000/– (रूपये पचास हजार) मात्र का भुगतान	तदैव
iv)	दुर्घटना/प्राकृतिक आपदा में मजदूर की मृत्यु होने/पूर्ण अशक्तता होने पर	दूसरे राज्य से कर्मकार/आश्रित परिवार को पैतृक आवास तक पहुँचाने का संपूर्ण व्यय	दूसरे राज्य से कर्मकार/आश्रित परिवार को पैतृक आवास तक पहुँचाने का संपूर्ण व्यय	तदैव

श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा बेहतर अवसर की तलाश में बाहर जाने वाले मजदूरों को पंजीकृत कर परिचय पत्र निर्गत किये जाते हैं। राँची जिले से प्रवास करने वाले मजदूरों का सर्वेक्षण कार्य उपायुक्त, राँची के द्वारा जिला साक्षरता समिति के माध्यम से करवाया गया है, जिसमें पाया गया है कि मांडर प्रखण्ड से कुल–2254 मजदूरों का पलायन हुआ है। पंजीकृत मजदूरों के हितों की रक्षा करने हेतु सरकार दृढ़ संकल्प है।

सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा राज्य में ही रोजगार देने हेतु विभिन्न योजनाएँ जैसे मनरेगा इत्यादि का संचालन किया जाता है, जिससे उन्हें अपने घर के पास ही रोजगार उपलब्ध हो सके। सरकार सभी मजदूरों के घर के पास ही रोजगार उपलब्ध कराने हेतु तत्पर रही है तथा राज्य की आवश्यकता के अनुरूप रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देने हेतु कृत संकल्पित है, जो अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर राज्य से बाहर कार्य पर चले जाते हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना संभव नहीं है। वैसे अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य से कार्य से वापस लौटते हैं वे कौशल विकास के योजनायें जो जनवरी, 2016 से संचालित की जानी है, उसके तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / एफ0ए0–50–54 / 2015 श्र0नि0 2227 राँची दिनांक 17.12.2015

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–3004 / वि0स0 राँची दिनांक 14.12.2015 के अनुपालन में 200 प्रतियों में / अवर सचिव, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, (सरकार पक्ष) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/12/2015

(अलखदेव प्रसाद)
सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(144)

श्री नलिन सोरेन, गा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.12.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०– 40 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्ता:– श्री नलिन सोरेन, गा०स०वि०स०, झारखण्ड, राँची।	उत्तरदाता:– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा० वि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के रानेश्वर प्रखण्ड अन्तर्गत आमजोड़ा, बांसकुली, आसनबनी में वर्ष, 2008–09 में स्वास्थ्य उपकेन्द्र बनाया गया है,	स्वीकारात्मक,
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक परिचारिका तथा जीवनरक्षक दवाईयां उपलब्ध नही कराया गया है,	अस्वीकारात्मक। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों की स्थिति निम्नवत् है–

पदनाम	आमजोड़ा		बाँसकुली		आसनबनी	
	स्वी०	कार्य०	स्वी०	कार्य०	स्वी०	कार्य०
चि० पदा०	02	00	02	01	02	01
स्वा० प्रशिक्षक	01	00	01	01	01	01
ए०एन०एम०	02	02	02	01	02	02
लैब टेक्नीशियन	01	00	01	01	01	01
फार्मासिस्ट	01	00	01	00	01	00
लिपिक	01	01	01	01	01	01
वर्ग सेवक/ सेविका	02	02	02	02	01	01

इन केन्द्रों में पर्याप्त दवाईयाँ उपलब्ध है।

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक, परिचारिका तथा जीवनरक्षक दवाईयां उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक–15/ वि०स० –08–97/2015 457(15) स्वा०/राँची/दिनांक– 17-12-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं० 2993 दिनांक 14.12.15 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

17.12.15
सरकार के अवर सचिव।

(145)

श्री दीपक बिरूवा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.12.2015 को पूछा जाने वाला

अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ.सू. 49 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–7/विभिन्न आवेदन–487/15/रा0, दिनांक–11.05.15 द्वारा उपायुक्त, चाईबासा को मौजा–दुम्बीसाई, थाना नं0–643, खाता नं0–34, प्लॉट नं0–225 एवं खाता नं0–78, प्लॉट नं0–226 पर अवैध निर्माण से संबंधित मामले पर नियमानुसार आवश्यक एवं समुचित कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया था,	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त मूखंड वर्ष 1913–14 के सर्वे सेटलमेंट में मालिकाना हक के तौर पर मौजा दुम्बीसाई लखराजदार मानकी का खास गैर मजरूवा हक का परती जमीन के रूप में दर्ज है;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुतः प्रश्नगत भूमि रैयती है। उपायुक्त, प0 सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक–133 (A), दिनांक–16.12.15 के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा के पत्रांक–1226, दिनांक–16.12.2015 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि वस्तुतः हाल सर्वे खतियान के खाता नं0–34, प्लॉट नं0–225, रकवा 0.10 डी. तथा खाता नं0–78, पलॉट नं0–226, रकवा 0.02 डी. भूमि खतियान के अनुसार श्री निर्मल कुमार सेन गुप्ता, पिता श्री परेश चन्द्र सेन गुप्ता तथा श्रीसत्यनारायण सिंह, पिता–श्री कलाचन्द सिंह के नाम से दर्ज रैयती भूमि है। उक्त भूमि पुराना सर्वे वर्ष 1913–14 के अनुसार प्लॉट नम्बर 418 के रूप में रैयती खाता नं0–26 में श्री कलाचन्द्र सिंह तथा श्री रतनी प्रसाद, पिता–श्री ब्रजमोहन सिंह के नाम से दर्ज है। पुराना सर्वे के अनुसार यह भूमि सरकारी परती भूमि नहीं है, बल्कि रैयती खाता की भूमि है।

3. क्या यह बात सही है कि 6 माह बीतने के पश्चात भी उक्त भूखंड पर निर्माण कार्य जारी है।		स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित भूखंड पर बन रहे अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपर्युक्त सभी खातों के उत्तर स्वीकारात्मक नहीं है। प्रतिवेदनानुसार प्रश्नगत भूमि हाल एवं साविक सेटलमेंट के अनुसार रैयत भूमि के रूप में दर्ज है। अतः ऐसी परिस्थिति में उक्त निर्माण पर रोक लगाना न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, राँची।

ज्ञापांक–6/वि.स. (अ.सू.) प. सिंह. –127/15 5658 /रा., दिनांक– 17-12-15

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–3002/वि.स., दिनांक–14.12.2015 के क्रम में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–10 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/12/15

(अरूण वाल्टर संगा)
सरकार के उप सचिव।

(146)

श्रीमती विमला प्रधान, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.12.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–52 का प्रश्नोत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्रीमती विमला प्रधान, माननीया स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है सिमडेगा नगर क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा आजादी के पूर्व से लगभग 51 एकड़ भूमि लीज पर है एवं लीज धारियों का लीज नवीकरण नहीं हुआ है,		स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि नवीकरण नहीं होने से राजस्व का नुकसान राजकीय कोष का हो रहा है ?		स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि लीजधारियों के संबंध में जाँच के क्रम में लीज की भूमि गैरमजरूआ खास एवं कैसरे हिंद किस्म का पाया गया है। लीज भूमि की पूर्ण जाँच के पश्चात् सुयोग्य लीजधारियों के लीज का नवीकरण नियमानुसार की जाएगी। लीजधारियों को बकाया राशि चुकाने के संबंध में जिला स्तर से सूचना निर्गत किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लीजधारियों का नवीकरण करते हुए लीज भूमि पर दखल के अनुसार स्वीकृति देते हुए स्वामित्व देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब नहीं तो क्यों ?		वर्त्तमान नियमों के अनुसार लीज नवीकरण की कार्रवाई की जाएगी, किन्तु भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार के पास रहेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–7/खा0म0 वि0स0 (अ0सू0)–343/15 5645/रा0 दिनांक– 17-12-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3003/वि0स0, दिनांक–14.12.2015 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–10 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/15
सरकार के उप सचिव

(147)

माननीय विधायक श्री नागेन्द्र महतो द्वारा दिनांक 18.12.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्र0सं0 अ0सू0– 28 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह के विरनी प्रखण्ड के भरकट्टा (तुलाडीह) में स्वास्थ्य उप–केन्द्र, सरकार द्वारा स्वीकृत है, जिसके भवन की स्थिति काफी जर्जर है;	आंशिक स्वीकारात्मक। गिरिडीह जिला के भरकट्टा (तुलाडीह) में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत एवं कार्यरत है । इसका भवन जीर्ण–शीर्ण स्थिति में होने की सूचना प्राप्त हुई है । ऐसे भवनों की विशेष मरम्मति एवं जीर्णोद्धार हेतु चालू वित्तीय वर्ष में बजट उपबंध करते हुए योजना की स्वीकृति विभागीय संकल्प ज्ञापांक–182(6)ब दि0 22.09.15 द्वारा दी गई है । इस भवन का जीर्णोद्धार चालू वित्तीय वर्ष में करा दिया जाएगा ।
2. क्या यह बात सही है कि बिरनी प्रखण्ड के 14 ग्रामीण पंचायतों की आबादी को स्वास्थ्य सुविधा से भवन जर्जर एवं चिकित्सा तथा चिकित्सक कर्मी के नहीं रहने के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुतः अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भरकट्टा (तुलाडीह) में चिकित्सक के दो पद स्वीकृत है, जो सम्प्रति रिक्त है । अगली स्थापना समिति के माध्यम से इस पर पदस्थापन पर विचार किया जाएगा । सम्प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिरनी में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारियों के माध्यम से रोस्टर के अनुसार इस अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जनता को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है। अन्य चिकित्सा कर्मियों के पदस्थापन के संबंध में आवश्यक निदेश निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ एवं संबंधित सिविल सर्जन को दिया जा रहा है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बिरनी प्रखण्ड के भरकट्टा (तुलाडीह) में नया स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन निर्माण तथा चिकित्सक तथा चिकित्सा कर्मी को बहाल करते हुए स्थानीय जनता को सरकार द्वारा दी जानेवाली स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0–वि0स0 (अ0सू0)– 110/15– 1162(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 17.12.15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2932/वि0स0, दिनांक 14.12.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.12.15

सरकार के उप सचिव ।

(148)

माननीय विधायक श्री मनोज कुमार यादव द्वारा दिनांक 18.12.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्र0सं0 अ0सू0– 04 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिलान्तर्गत चन्दवारा प्रखण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन नहीं है;		आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि चन्दवारा प्रखण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, बल्कि यहाँ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है ।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड एक में वर्णित चिकित्सा केन्द्र भवनाभाव के कारण क्षेत्र निवासित मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;		अस्वीकारात्मक है । चन्दवारा प्रखण्ड में अवस्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन में ही वहाँ पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी, ए0एन0एम0, पारामेडिकल कर्मियों द्वारा क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चन्दवारा में चिकित्सा भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		इस प्रखण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण की स्वीकृति पर विचार हेतु विभागीय पत्रांक– 1086(6) दि0 30.11.15 द्वारा सिविल सर्जन, कोडरमा से आई0पी0ए0ए0एस0 मानक के अनुरुप निर्धारित शर्तों को पूरा करने के संबंध में बिन्दुवार प्रतिवेदन की माँग की गई है । इस संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कर समीक्षोपरान्त निर्णय लिया जाएगा ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0–वि0स0 (अ0सू0)– 112/15– 1169(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 17.12.15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2832/वि0स0, दिनांक 11.12.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.12.15

सरकार के उपे सचिव ।

श्री राज सिन्हा, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 18-12-15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प– सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–14

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री राज सिन्हा मा0 स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा0 मंत्री, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग
1. क्या यह बात सही है कि P.M.C.H धनबाद में न्यूरो सर्जरी विभाग नहीं रहने के कारण स्थानीय लोगों को इससे संबंधित चिकित्सा हेतु राज्य से बाहर जाना पड़ता है जिससे उन्हें काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार P.M.C.H धनबाद में न्यूरो सर्जरी विभाग आरंभ करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के तहत पी0एम0सी0एच0 धनबाद में न्यूरो सर्जरी विभाग प्रारम्भ करने की स्वीकृति केन्द्र सरकार से मिल गयी है। केन्द्र से आवंटन प्राप्त होते ही यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक– 9/ विधायी–06-14/15– 225(9) दिनांक:– 17·12·2015

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0– 2830, दिनांक– 11-12-15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.12.15

सरकार के उप सचिव ।

Tiwari

(150)

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.12.2015 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–17 का उत्तर :

क्र0	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री अरूप चटर्जी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–17	श्री राज पलिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
	क्या मंत्री, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत निरसा क्षेत्र के आम्बोना अवस्थित Mar & Marchantile Pvt. Ltd. नामक एक कारखाना में दिनांक 26.11.2015 को एक दुर्घटना में वहाँ कार्यरत मजदूर कामदेव गोप की मृत्यु हो गयी है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है। यह सत्य है कि कामगार कामदेव गोप, M/s-Mars & Marchantile Pvt. Ltd. मौकाम छोटा आम्बोना, पो0–आम्बोना, जिला–धनबाद में अवस्थित कारखाना में मशीन संख्या–MSDW-05 पर कार्यरत थे, जिनकी कार्य के दौरान दिनांक 26.11.2015 को 7:00 बजे प्रातः घटित संघातिक दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गयी।
2	क्या यह बात सही है कि मृतक मजदूर कामदेव गोप विगत दस वर्षों से इस कारखाना में कार्यरथ थे परन्तु इसका E.S.I./PF संबंधी कोई लेखा जोखा प्रबंधन के पास नहीं था इसलिए इसके आश्रितों को उचित मुआवजा नहीं मिल पाया ?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। स्व0 कामदेव गोप के कार्य अवधि 01.08.2006 से दिनांक 20.05.2009 तक E.P.F. No-JH/RAN/ 12430/23 के तहत् कटौती की गयी है। इसके पश्चात् स्व0 गोप ने सेवा छोड़ दी और ये दिनांक 01.06.2013 से पुनः कम्पनी की सेवा में आये उस अवधि से दिनांक 26.11.2015 दुर्घटना तिथि तक पी0एफ0 की कटौती प्रबंधन द्वारा नहीं किये जाने की सूचना संयुक्त जाँच क्रम में पायी गयी है। प्रबंधन द्वारा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय, धनबाद में मुआवजा के रूप से 6,00,000/– (छः लाख) रूपया मात्र की राशि A/c Cheque No-376405, Dated 01-12-2015 द्वारा जमा किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा स्व0 कामदेव गोप के वैध आश्रितों के भुगतान के लिए अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु दिनांक 18.12.2015 को तिथि निर्धारित है। दिनांक 16.12.2015 को मृतक के आश्रित पत्नी को रूपये 4,00,000/- (रूपये चार लाख) का भुगतान A/c. Payee चैक के माध्यम से किया गया है श्रम न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण होने पर इस राशि के समायोजन करते हुए शेष भुगतेय राशि का भुगतान आश्रित को सुनिश्चित कराया जायेगा।
3	क्या यह बात सही है कि इस कारखाना में कार्यरत अन्य मजदूरों को भी E.S.I./PF न्यूनतम मजदूरी संबंधी कोई लाभ नहीं मिलता बल्कि सुरक्षा मापदण्डों की अनदेखी कर मजदूरों से 12 घंटे का काम लिया जाता है ? यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार समुचित जाँचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक ?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। कारखाना निरीक्षक, धनबाद, अंचल–3, धनबाद ने अपने कार्यालय ज्ञा पत्रांक–248 दिनांक 17.12.2015 के द्वारा सूचित किया है कि दिनांक 14.08.2015 से प्रभावी न्यूनतम मजदूरी दरों का भुगतान कारखाने के कुल–1 कामगारों को नहीं किया जा रहा था, जिसके आलोक में कारखाना प्रबंधन के विरूद्ध SDM, धनबाद के न्यायालय में कार्यालय कारखाना निरीक्षक, धनबाद अंचल–3, धनबाद के पत्रांक–246 दिनांक 17.12.2015 के द्वारा दावा पत्र दायर कर दिया गया है। कारखाने में हुई दुर्घटना की जाँच–पड़ताल के क्रम में पाये गये उल्लंघन तथा निर्धारित कार्य अवधि से अधिक काम कराये जाने संबंधी उल्लंघन के आलोक में कारखाना अधिनियम, 1948 की दण्डनीय धारा–92 के अन्तर्गत कारखाने के प्रबंधन के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कारखाने के कुछ कामगारों को E.S.I./P.F. का नियमित कटौती नहीं किये जाने एवं अन्य यथासूचित अनियमितताओं में आवश्यक जाँच एवं कार्रवाई हेतु अनुरोध, कार्यालय धनबाद अंचल–3, धनबाद के पत्रांक–247 दिनांक17.12.2015 तथा श्रमायुक्त, झारखण्ड के कार्यालय के पत्रांक–2223 दिनांक 17.12.2015 द्वारा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, राँची एवं क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नामकुम, राँची को किया गया है।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/एफ0ए0–50–54/2015 श्र0नि0 2228 राँची दिनांक 17.12.2015

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–2879/वि0स0 राँची, दिनांक 12.12.2015 के अनुपालन में 200 प्रतियों में/अवर सचिव, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, (सरकार पक्ष) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/12/2015

(अलखदेव प्रसाद)
सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(151)

श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–31 का प्रश्नोत्तर

क्र.	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में वर्ष–1932 के बाद से अब तक जमीनों का रीविनजल सर्वे नहीं हुआ है और न ही नये खतियान का निर्माण हो पाया है ;		अस्वीकारात्मक है। झारखण्ड राज्य में 1932 के बाद बंदोबस्त कार्यालय राँची, धनबाद, पलामू, दुमका, जमशेदपुर एवं हजारीबाग में पड़ने वाले जिलों के अन्तर्गत अंचलों में रिविजनल सर्वे का कार्य चल रहा है तथा नये खतियान का निर्माण हो रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि प्रत्येक 30 वर्षों बाद जमीनों का रिविजनल सर्वे करवा कर खतियानी निर्माण करने का नियम है, परन्तु झारखण्ड में यह कार्य वर्ष – 1932 के बाद से अबतक लंबित है ;		अस्वीकारात्मक है। नियमानुसार अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह (15) वर्षों की कालावधि की समाप्ति के बाद रिसर्वे (पुनरीक्षण सर्वे) कराया जाना है।
3	क्या यह बात सही है कि पुराने खतियान, कंटीन्यूअस खतियान एवं ग्राम मानचित्र में दर्शाये गए मानक चिन्हों का अस्तित्व वर्त्तमान समय में मिटता जा रहा है, जिससे लोगों के बीच भूमि विवाद बढ़ रहा है और सरकारी कर्मियों, अमीनों को कार्य करने में काफी कठिनाई हो रही है ;		अस्वीकारात्मक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जमीनों का नियमानुसार रिविजनल सर्वे करवा कर नये खतियान और ग्राम मानचित्र बनवाने का विचार रखती है यदि हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों ?		राज्य में स्थापित छः बंदोबस्त कार्यालयों के अन्तर्गत रिविजनल सर्वे, नये खतियान एवं भू–मानचित्र बनाने का कार्य भी चल रहा है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:–2/भू0अभि0परि0निदे0(अल्प–सूचित) वि०स०–109/15 607/Pro दिनांक– 17-12-15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2921 वि0स0, दिनांक–14.12.2015 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय प्रशाखा–10 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

17/12/2015

सरकार के उप सचिव

(152)

श्री जगरनाथ महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.12.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०– 19 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्ता:– श्री जगरनाथ महतो, मा०स०वि०स०, झारखण्ड, राँची।	उत्तरदाता:– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय मंत्री, स्वा० वि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत नावाडीह में स्वास्थ्य उप केन्द्र बन कर तैयार है ?	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि वर्तमान समय में जिस भवन में स्वास्थ्य उप केन्द्र चल रहा है। वह बिल्कुल जर्जर अवस्था में है ?	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पुराना भवन में ही स्वास्थ्य उप केन्द्र चलाया जा रहा है ?	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नये स्वास्थ्य उप केन्द्र भवन में पुराना भवन से नवनिर्मित स्वास्थ्य केन्द्र भवन में स्वास्थ्य केन्द्र स्थानांतरित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नावाडीह के नवनिर्मित भवन को दिनांक 05.10.2015 को हस्तगत हुआ है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक आवश्यक व्यवस्था कर इस स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:–15/ वि०स० –06–90/2015 - 4630 स्वा०/राँची/दिनांक:–17-12-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं० 2831 दिनांक 11.12.15 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

17.12.15
सरकार के अवर सचिव।

153

श्रीमती बिमला प्रधान, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.12.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०– 35 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता:– श्रीमती विमला प्रधान, मा०स०वि०स०, झारखण्ड, राँची।	उत्तरदाता:– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा० , वि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला में एक ही ए0एन0एम0 ट्रेनिंग सेंटर सदर अस्पताल, सिमडेगा में है, जिसमें सिर्फ 60 प्रशिक्षणार्थी ही शिक्षण प्राप्त कर सकते है शेष जिले की लड़कियों को ट्रेनिंग लेने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है यदि हाँ तो क्या सरकार 60 सीट से बढ़ाकर 100 सीट ए0एन0एम0 ट्रेनिंग के लिए करने का विचार रखती है, जिससे की वहाँ की लड़कियों को गृह जिला में सुविधा मिल सके ।	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में ए0एन0एम0 स्कूल, सिमडेगा में निर्धारित 60 सीट को बढ़ाकर 100 सीट करने का प्रस्ताव विभागीय स्तर पर विचाराधीन नहीं है।
2. यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?.	कंडिका (1) में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:–10 / वि०स० (अ०सू०)–01–13 / 2015 399(10) स्वा० / राँची / दिनांक:–17/12/15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं० 2924 दिनांक 14.12.15 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

18.12.15

सरकार के अवर सचिव।

154

श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.12.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–27 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न		उत्तर
	श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स०वि०स०		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत बगोदर प्रखण्ड के बगोदर बाजार के सरिया रोड में खाता नं0 334, प्लॉट नं0 1445, 1446 वर्ष 1910 के सर्वे रिकार्ड में दर्शाया गया है, केसरे–ए–हिन्द जो सरकारी जमीन है पर एक राजनितिक दल सी0पी0आई0एम0एल0 का कार्यालय का निर्माण कराया गया है;		स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकारी जमीन पर कोई राजनीतिक दल अपना कार्यालय नहीं खोल सकती है;		स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि WP(PIL) No.3621 of 2007 में दिनांक 23 जनवरी 2014 को माननीय उच्च न्यायालय ने पारित आदेश में सी0पी0आई0एम0एल0 के कार्यालय को अतिक्रमणमुक्त कराने संबंधी आदेश पारित किया है ;		स्वीकारात्मक।
4	क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय राँची के पारित आदेश के बावजूद विभागीय कर्मचारी एवं पदाधिकारी के लापरवाही के कारण आज तक सी0पी0आई0एम0एल0 के कार्यालय को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया ;		दिनांक 28.10.2015 को अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस के द्वारा दिनांक–30.11.2015 तक समय निर्धारित किया गया था। दिनांक–20.01.2016 तक अतिक्रमणमुक्त करने की कार्रवाई पूरी कर ली जायेगी।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बगोदर बाजार सरिया रोड में केशरे–ए–हिन्द की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने तथा विलंब के लिए दोषी–पदाधिकारी पर कार्रवाई चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?		बगोदर बाजार सरिया रोड में केशरे–ए–हिन्द की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु नोटिस निर्गत कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण हटाने में विलंब के लिए दोषी पदाधिकारी पर जाँचोपरांत नियमानुसार उचित कार्रवाई की जायगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–5 / स०भू०गिरि०(वि०स०अ०सू०)–182 / 15 5659 /रा० दिनांक– 17-12-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–2923 वि०स०, दिनांक–14.12.2015 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/15
सरकार के उप सचिव

(155)

श्री राधा कृष्ण किशोर, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 18.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ0 सू0–01 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में 6043 स्वास्थ्य उपकेन्द्र, 964 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 241 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के विरूद्ध 2035 स्वास्थ्य उपकेन्द्र, 634 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 53 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जैसे आधारभूत संरचना का अभाव है ;	स्वीकारात्मक। भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक के अनुरूप वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर राज्य में 6043 स्वास्थ्य उपकेन्द्र, 964 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 241 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए। इसके विरूद्ध वर्तमान में 3958 स्वास्थ्य केन्द्र, 330 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है।
2.	क्या यह बात सही है कि सम्पूर्ण झारखण्ड प्रदेश में चिकित्सकों के 1500 पद तथा 10,000 पारामेडिकल स्टाफ तथा आधारभूत संरचना के अभाव में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरायी हुई है ;	अस्वीकारात्मक। वर्तमान में पूर्व से कार्यरत 1662 चिकित्सकों के अतिरिक्त 268 नये चिकित्सकों की सामान्य रिक्ति के विरूद्ध एवं 37 चिकित्सकों की बैकलॉग रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति कर पदस्थापना की गयी है। 654 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजी गयी है जिसपर आयोग स्तर पर कार्रवाई अंतिम चरण में है। इसके पूर्व चिकित्सा पदाधिकारियों के 556 पदों की अधियाचना के विरूद्ध आयोग द्वारा मात्र 343 चिकित्सकों की अनुशंसा की गयी थी। अभी हाल ही में 252 विशेषज्ञ चिकित्सकों का पद सृजन 18 सदर अस्पतालों के लिए तथा 44 विशेषज्ञ चिकित्सकों का पद सृजन 4 प्रमण्डलीय मुख्यालय के सदर अस्पतालों के लिए की गयी है। 155 दन्त चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को दिनांक 15.12.2015 को भेजी गयी है। पारा मेडिकल कर्मियों में से लैब टेकनीशियन के 270 पदों पर, ए–ग्रेड नर्स के 262 पदों पर तथा फार्मासिस्ट के 296 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है। इसके अतिरिक्त लैब टेकनीशियन के 131 पदों पर, ए–ग्रेड नर्स के 93 पदों पर तथा फार्मासिस्ट के 152 पदों पर नियमतीकरण की कार्रवाई अंतिम चरण में है। अन्य पारा मेडिकल पदों पर नियुक्ति हेतु नियमावली का गठन प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य में स्वास्थ्य की आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने तथा चिकित्सकों और पारा मेडिकल स्टाफ के नियुक्ति हेतु कौन सी कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट एवं भूमि की उपलब्धता के आलोक में स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नये भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही चिकित्सकों, दन्त चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल कर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03 / वि0 स0–03–82 / 2015 1483 (3) राँची, दिनांक: 17/12/15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2751 / वि0स0 दिनांक 09.12.15 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.12.15

सरकार के अवर सचिव

(156)

श्री अनन्त कुमार ओझा, स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– 03 का प्रश्नोत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला अर्न्तगत पड़ने वाले दियारा क्षेत्र का सीमांकन सर्वे आज तक नही हो पाया है।	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि अनसर्वे क्षेत्र का सीमांकन नही होने के कारण स्थानीय आमजन को अंचल कार्यालय से संबंधित सभी कार्यों में कठिनाईयाँ हो रही है :	स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है, उक्त क्षेत्र का सीमांकन सर्वे नहीं होने से सीमावर्ती राज्यों के असामाजिक तत्वों द्वारा भय बना रहता है, एवं अप्रत्याशित घटनाएँ होती रहती है, यदि उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जिलान्तर्गत अनसर्व दियारा क्षेत्र का सीमांकन सर्वे कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड एवं बिहार राज्य के सीमा का सीमांकन सर्वे का कार्य दिनांक–02.06.2010 को अंचल–मनिहारी (बिहार) एवं अंचल–साहेबगंज (झारखण्ड) के सर्वेक्षण दल द्वारा संयुक्त रूप से स्थल का सर्वेक्षण कर संतुष्ट होकर दिनांक– 03.06.2010 को पीलर गड़वाया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत मौजा– टोपरा, मुरैला एवं हादीनगर सर्वेक्षित मौजा है, जिसका रिकार्ड ऑफ साईट्स जिला पदाधिकारी, कटिहार से अप्राप्त है। फलतः सीमांकन कार्य नही हो सका। झारखण्ड–बंगाल के सीमा का सीमांकन संयुक्त दल द्वारा दिनांक–06.06.2011 से 09.06.2011 तक में साहेबगंज जिला का अंचल– राजमहल एवं उधवा का सीमांकन किया जा चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अधिकारी द्वारा सहमति के रूप में सूची पर हस्ताक्षर नही किया गया है, जो सीमा निर्धारण को सम्पुष्ट नहीं करता है। आगामी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उक्त विषय पर निर्णय उपरांत अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–2/भू०अनि०परि०निदे०(वि०स०) अल्प–सूचित –108/15 608/R दिनांक– 17-12-15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2840 वि०स०, दिनांक–11.12.2015 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय प्रशाखा–10 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

17/12/2015

सरकार के उप सचिव

157

माननीय विधायक श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता द्वारा दिनांक 18.12.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्र0सं0 अ0सू0– 29 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद विधान–सभा क्षेत्र में रेफरल अस्पताल का निर्माण नहीं कराया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि हुसैनाबाद में विभागीय पत्रांक–183(5) दि0 24.01.2008 द्वारा अनुमण्डलीय अस्पताल भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। निर्माण कार्य झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड द्वारा कराया जा रहा था, परन्तु बोर्ड द्वारा आंशिक कार्य ही कराया गया तथा लम्बे समय से कार्य बन्द है । इस बीच शेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु विभागीय अभियंत्रण कोषांग से जाँचोपरान्त प्राक्कलन की मॉग की गई । उनके द्वारा योजना को पूर्ण करने हेतु कुल 6,84,19,004/ रूपए का पुनरीक्षित प्राक्कलन विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
2. क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत झारखण्ड–बिहार की सीमा पर अवस्थित हरिहरगंज प्रखण्ड मुख्यालय से एन0एच0 98 को गुजरने के कारण सड़क हादसे होते रहते है;	विभाग से संबंधित नहीं है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिलान्तर्गत हरिहरगंज में एक रेफरल अस्पताल का निर्माण कराना चाहती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	हरिहरगंज से 22 किलोमीटर की दूरी पर औरंगाबाद– डाल्टेनगंज मुख्य मार्ग पर ही छत्तरपुर में अनुमण्डलीय अस्पताल स्वीकृत एवं कार्यरत है । हरिहरगंज में रेफरल अस्पताल के निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0–वि0स0 (अ0सू0)– 108/15– 1166(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 17.12.15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2929/वि0स0, दिनांक 14.12.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/15

सरकार के उप सचिव ।

माननीय विधायक श्री जय प्रकाश वर्मा द्वारा दिनांक 18.12.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्र0सं0 अ0सू0– 32 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत बेंगाबाद, गाण्डेय एवं गिरिडीह मुफस्सिल प्रखण्डों में कितने–कितने स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोले गए है, जिसमें कितने केन्द बन्द, तथा कार्यरत है;		गिरिडीह जिलान्तर्गत बेंगाबाद प्रखण्ड में 12, गाण्डेय प्रखण्ड में 13 एवं गिरिडीह में 24 कुल 49 स्वास्थ्य उपकेन्द्र पूर्व से स्वीकृत एवं संचालित है । इसके अतिरिक्त चपुआडीह (बेंगाबाद), बड़कीटांड (गाण्डेय) एवं मटरुखा (सदर प्रखण्ड) में नया स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन का निर्माण कराया गया है, जो स्थानीय व्यवस्था से चालू कराया जा चुका है ।
2. क्या यह बात सही है कि सरकार प्रत्येक पंचायतों में एक–एक स्वास्थ्य उपकेन्द खोलने की मंशा रखती है;		आई0पी0एच0एस0 मानक के अनुरुप गैर जनतीय क्षेत्र के 5000 एवं जनजातीय क्षेत्र के 3000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्थापित करने का प्रावधान है । इसके आलोक में सरकार द्वारा बजट उपबंध एवं भूमि उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक वर्ष चरणबद्ध ढंग से स्वास्थ्य उपकेन्द के निर्माण की योजना कार्यान्वित की जा रही है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बेंगाबाद, गाण्डेय एवं गिरिडीह (मु0) प्रखण्डों में शेष बचे पंचायतों में स्वास्थ्य उपकेन्द की स्थापना कबतक की जाएगी और बन्द केन्द्रों की आवश्यक संसाधन प्रदान कर उन्हें कबतक, चालू करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपर्युक्त कंडिका 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0–वि0स0 (अ0सू0)– 107/15– 1167(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 17.12.15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2928/वि0स0, दिनांक 14.12.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.12.15

सरकार के उप सचिव ।

श्री निरल पूर्ति, माननीय सदस्य, झारखंड विधान–सभा द्वारा दिनांक–18.12.2015 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–20 का उत्तर सामग्री। 159

	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में नियुक्त विद्वान सरकारी अधिवक्ता का नियुक्ति अवधि पूरा हो चुका है ?	:–	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त जिले का विद्वान सरकारी अधिवक्ता का अबतक नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे कार्य बाधित हो रहा है ?	:–	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। सरकारी वादों (सिविल) में सरकार की ओर से पैरवी हेतु जिले में नये सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति होने तक पूर्व से पदस्थ सरकारी अधिवक्ता कार्य सभांल रहे है।
3.	यदि उपरोक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोक हित में जिले के विद्वान सरकारी अधिवक्ता नियुक्त करने पर विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	:–	हाँ। संबंधित संचिका उच्च स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

झारखंड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक–बी0/विधि–दिसप्र–111/2015–2480/जे0 राँची, दिनांक–15 दिसम्बर, 2015

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2829–वि0स0 दिनांक–11.12.15 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

15.12.15

(बी0 बी0 मंगलमूर्त्ति)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

160

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.12.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०– 51 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता:– श्रीमती गंगोत्री कुजूर, मा०स०वि०स०, झारखण्ड, राँची।	उत्तरदाता:– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा० वि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.क्या यह बात सही है कि बेड़ो प्रखण्ड के नरकोपी ग्राम में उप स्वास्थ्य केन्द्र वर्षों से बनकर पड़ा है जिसमें स्वास्थ्य सेवा नहीं होने के कारण वहां की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ?	बेड़ो प्रखण्ड अन्तर्गत नरकोपी ग्राम में निर्मित स्वास्थ्य उप केन्द्र भवन अभी तक हस्तगत नहीं हो सका है। संप्रति सामुदायिक भवन नरकोपी में अस्पताल चल रहा है तथा इस अस्पताल में निम्नांकित चिकित्सक कर्मी के द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। (i) चिकित्सक–01 (ii) ए0ए0एम0– 01 (iii) चतुर्थ वर्गी कर्मचारी– 01
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य उप केन्द्र में स्वास्थ्य सेवा कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्वास्थ्य उप केन्द्र के हस्तगत होने के पश्चात् आवश्यक मशीन–उपकरण एवं उपस्कर की व्यवस्था कर इसे अगले वित्तीय वर्ष में चालू कराया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:–15/ वि०स० –08–95/2015 4580(5) स्वा०/राँची/दिनांक– 17-12-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं० 2999 दिनांक 14.12.15 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

17.12.15
सरकार के अवर सचिव।

(161)

श्री अशोक कुमार, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 18.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ0 सू0–38 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत महगामा प्रखण्ड के ग्राम–परसा एवं मेहरमा प्रखण्ड के ग्राम सिघाड़ी में पांच वर्ष पूर्व अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराया गया है ; जिसे अभी तक पूर्णरूपेन चालु नहीं कराया गया है, जिससे ग्रामीणों को समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसा वर्तमान में संचालित है। परन्तु अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंघाड़ी में पद सृजित नहीं होने के कारण तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेहरमा के 2 ए0एन0एम0 एवं 1 चिकित्सक द्वारा सिंघाड़ी में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंघाड़ी के लिए पद सृजन की कार्रवाई विभाग स्तर पर की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में अभी तक डॉक्टर, कम्पाँडर एवं नर्स को पदस्थापित नहीं किया गया है ; और ना ही अन्य जरूरी उपकरण ही उपलब्ध कराई गयी है ;	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसा में सृजित पदों के विरूद्ध 1 चिकित्सक, 1 लिपिक एवं 1 ए0एन0एम0 पदस्थापित है। रिक्त पदों पर उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी। सिंघाड़ी के संबंध में खण्ड–1 में स्थिति स्पष्ट की गयी है। परसा में पूर्व से उपलब्ध उपकरण से कार्य लिया जा रहा है एवं सिंघाड़ी के लिए आवश्यक उपकरण अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।
3.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टर, कम्पाँडर एवं नर्स को पदस्थापित करने के साथ–साथ जरूरी उपकरण की व्यवस्था कराने का विचार रखती है ; यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर के खण्डों में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03/वि0 स0–03–83/2015 1486(3) राँची, दिनांक: 17/12/15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2925/वि0स0 दिनांक 14.12.15 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.12.15

सरकार के अवर सचिव

162

श्री विकास कुमार, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 18-12-15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–39

प्रश्नकर्त्ता		उत्तरदाता
श्री विकास कुमार मा0 स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा0 मंत्री, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग
1. क्या यह बात सही है कि रिम्स को छोड़कर झारखण्ड राज्य स्थित किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय एवं सदर अस्पतालों में फिजियोथेरापिस्ट का पद सृजित नहीं है।		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि जन्मजात विकलांगो पोलियो रोगी तथा वाहन दुर्घटना या अन्य दुर्घटना से घायल मरीजों के ईलाज के लिए फिजियोथेरापिस्ट की आवश्यकता पड़ती है ;		स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त बातें सही है तो क्या सरकार राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों एवं सदर अस्पतालों में पद सृजित कर फिजियोथेरापिस्ट की बहाली करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		फिजियोथेरापिस्ट का पदसृजन प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक– 21 / वि0स0–06- 11 / 15– 450(21) दिनांक:– 17 · 12 · 15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0– 2926, दिनांक– 14-12-15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12
सरकार के उप सचिव ।

Tiwari